breakthrough

unicef
unite for children

मॉड्यूल 13

जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां

बाल विवाह और हिंसा के समाधान हेतु हितधारकों के साथ कार्य करने के लिए वार्तालाप बिंदु

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्त्रोत को मान दें।

इंगित संसकरणः
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्त्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करें:
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© UNICEF/India/Khemka

© UNICEF/India/Khemka

मॉड्यूल 13

जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां

प्रशिक्षकों तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं को लैंगिक हिंसा के मसलों के समाधान हेतु विभिन्न हितधारकों को सहमत करने के लिए वार्तालाप बिंदुओं तथा तर्कों से सुसज्जित करने के लिए एक संसाधन पुस्तिका है।

विषय सूची

यूनिसेफ के बारे में पृष्ठ 2

ब्रेकथ्रू के बारे में पृष्ठ 3

अनुभाग पृष्ठ 5

अनुभाग 1 - सामुदायिक कार्यकर्ताओं/मोबिलाइजरों द्वारा संसाधन पुस्तिका का उपयोग पृष्ठ 6

अनुभाग 2 - बाल विवाह, भेदभाव और हिंसा के समाधान के लिए समुदाय के साथ कार्य करना पृष्ठ 9

अनुभाग 3 - धार्मिक नेताओं के साथ कार्य करना पृष्ठ 16

अनुभाग 4 - पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कार्य करना पृष्ठ 19

अनुभाग 5 - सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस कार्मिकों के साथ कार्य करना पृष्ठ 22

अनुभाग 6 - बच्चों, किशोरवयों तथा युवाओं के साथ कार्य करना पृष्ठ 25

अनुभाग 7 - अध्यापकों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ASHA, AWW, ANM) के साथ कार्य करना पृष्ठ 28

© UNICEF/India

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 91-11-24627521

newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN
@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 🖷 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Crouch

© Breakthrough/India

अनुभाग

अनुभाग

1

सामुदायिक कार्यकर्ताओं/ मोबिलाइजरों द्वारा संसाधन पुस्तिका का उपयोग

सामुदायिक कार्यकर्ताओं/ मोबिलाइजरों के लिए संसाधन पुस्तिका क्यों तैयार की गई है?

यह संसाधन पुस्तिका, सामुदायिक मोबिलाइजरों को लैंगिक हिंसा के समाधान हेतु विभिन्न हितधारकों को सहमत करने के लिए वार्तालाप के बिंदु उपलब्ध कराने के लिए है। यह ऐसे हितधारकों के साथ कार्य हेतु कार्रवाई में समर्थन के लिए है जो लैंगिक हिंसा के उन्मूलन में सहयोगी हो सकते हैं। यह जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को विविध भूमिकाओं वाले सामुदायिक सदस्यों (अभिभावकों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों आदि), धार्मिक, जातिगत तथा सामुदायिक नेताओं, किशोरवयों और युवाओं, तथा कार्मिकों जैसे कि प्रतिषेध अधिकारियों, पंचायत सदस्यों तथा पुलिस से लैंगिक हिंसा के संदर्भ तथा इसके प्रभावों के बारे में बात करने व सहमत करने में उनकी मदद कर सकती है। इस संसाधन को 'किशोरावस्था सशक्तिकरण तथा लैंगिक हिंसा समाधान हेतु कानूनी व नीतिगत समर्थन' के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो किशोरावस्था सशक्तिकरण टूलकिट में मसले के कानूनी समाधान पर केंद्रित भाग है। संसाधन पुस्तिका में दी गई जानकारियां कुछ सामान्य जोखिमों को न्यूनीकृत करने में भी मदद कर सकती हैं, जो प्रायः गलतफहमियों के कारण उत्पन्न होते हैं और सामुदायिक परिवेश में, निजी मामलों में दखल दिए जाने के कारण उन शाब्दिक हमले किए जाते हैं।

समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति-बच्चे, बुजुर्ग, पुरूष और महिलाएं, नेता- लैंगिक हिंसा के खात्मे में योगदान कर सकते हैं। हमें उन तक पहुंचने, उन्हें शिक्षित और जागरूक करने तथा लैंगिक हिंसा के नकारात्मक प्रभावों के बारे में संवेदी बनाने, इस कुप्रथा के विरोध हेतु उन्हें सहमत और प्रेरित करने की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक हितधारक समूह की राय और प्रतिरोध, उनके समूह के अनुसार विशिष्ट होते हैं। हालांकि सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, समुदाय के सभी अनुभागों तक पहुंचने के लिए (परिवर्तन के बाहरी वाहक के रूप में) तथा उनको महिलाओं व बच्चों के प्रचलित कानूनों व अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाता है।

लैंगिक हिंसा के समाधान हेतु विविध हितधारकों के साथ कार्य करने के लिए न्यूनीकरण रणनीतियों पर यह संसाधन पुस्तिका, अधिक बड़े किशोरावस्था सशक्तिकरण टूलकिट का एक भाग है, जिसमें किशोरों, किशोरियों के जीवन कौशलों तथा जेंडर और अधिकारों के बारे में

प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा एनजीओ साझेदारों/अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों हेतु मॉड्यूल शामिल हैं।

संसाधन पुस्तिका को किस तरह अवधारित किया गया है और इसकी विषयवस्तु में किन प्रमुख हितधारकों को कवर किया गया है?

इस संसाधन पुस्तिका को समुदाय के विविध हितधारक समूहों जैसे कि युवा तथा किशोरियां, पुरूष और महिलाएं, अध्यापक तथा सेवा प्रदाता, सामुदायिक और धार्मिक नेता, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, संबंधित सरकारी कार्मिक तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि से चर्चाओं के आधार पर विकसित किया गया है।

यह सामग्री, लैंगिक हिंसा के खात्मे के लिए हितधारकों के विविध समूहों के साथ चर्चा शुरू करने और संवाद बनाए रखने के लिए सुझाव उपलब्ध कराती है। इसमें यह भी सुझाया गया है कि किस तरह से हम पांच सबसे महत्त्वपूर्ण हितधारक समूहों द्वारा उठाए गए विशेष संदेहों और प्रश्नों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिनके साथ हम लैंगिक हिंसा के खात्मे के लिए कार्य कर सकते हैं -

- किशोरवय (लड़कियां और लड़के दोनों)
- सामुदायिक सदस्य (अभिभावकों सहित)
- प्रतिषेध/संरक्षण अधिकारी (पीओ), पुलिस कार्मिक
- धार्मिक नेता
- पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सदस्य, तथा
- अध्यापक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता

हस्तक्षेप कार्यक्रमों में सामुदायिक कार्यकर्ताओं/मोबिलाइजरों के निहित वित्तीय हितों के बारे में समुदाय द्वारा व्यक्त संदेहों का सामना कैसे करें?

सामुदायिक मोबिलाइजरों या एनजीओ कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली एक सबसे कठिन टिप्पणी यह है कि लोगों को महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों के बारे में, तथा घरेलू हिंसा, माध्यमिक स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना, बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा के विरूद्ध जागरूक करने में उनके 'हितों' पर सवाल खड़ा किया जाता है। उनसे प्रायः प्रश्न किया जाता है कि क्या वे यह 'पैसे के लिए' कर रहे हैं। यह बहुत निजी चुनौती हो सकती है। हालांकि इस पर निजी तौर पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए या इसे भावनात्मक तौर पर नहीं लेना चाहिए।

सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को यह अवश्य समझना चाहिए कि वे महिला अधिकारों, बाल संरक्षण एवं विकास के समर्थन में तथा महिलाओं व बच्चों की वृद्धि व जीवन के लिए हानिकारक रिवाजों की रोकथाम किए जाने की दिशा में सही कार्य कर रहे हैं। इन मसलों को लेकर जनपैरवी का कोई भी प्रयास स्वागतयोग्य है, चाहे यह स्वयंसेवी या पारिश्रमिक आधारित हो, लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाते हुए आजीविका कमाने या अपने कैरियर का विकास करने में अपराधबोध महसूस करने या शर्मिन्दगी महसूस करने की कोई वजह नहीं है। प्रतिरक्षात्मक या सुरक्षात्मक रवैया न अपनाना ही ऐसे आरोपों का सामना करने का सर्वोत्तम तरीका है, कभी भी स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने चाहिए। आपको अपने काम पर डटे रहना चाहिए और लैंगिक हिंसा तथा उत्पीड़न समाप्त करने के अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें।

यह भी सदैव याद रखा जाना चाहिए कि परिवर्तन लाना कठिन होता है और यह रातोंरात या केवल एक हस्तक्षेप से नहीं हासिल किया जा सकता। आपको अखंड कार्यक्रम तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी जो समुदाय की सोच को पितृत्ववादी सोच से उस दिशा में ले जाने में मदद करे जहां लड़कियों और लड़कों के मानव एवं बाल अधिकारों के अनुसार उनसे समानता का व्यवहार किए जाने की शुरूआत हो। हमें उनसे सवाल अवश्य करने चाहिए, चुनौती देनी चाहिए, और जाति व समुदाय में गहरे पैठी पारंपरिक, प्रथागत रूढ़ियों से मुक्ति की अपील करनी होगी। यह आसान नहीं है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा के विरूद्ध किसी भी चर्चा को प्रतिरोध और दोषारोपणों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिस तरह बहुत सारे मत होंगे।

हिंसा तथा बाल विवाह के विरूद्ध समुदाय में चर्चाएं और कार्ययोजनाएं कैसे सुगम बनाएं?

घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा के संवेदनशील मसलों पर समुदाय से एकदम सीधे-सपाट तरीके से बातचीत नहीं शुरू की जा सकती; पहले समुदाय तथा किशोरवय समूहों के विकास की समग्र चिंताओं (सरोकारों) पर बात की जानी चाहिए। सामुदायिक मोबिलाइजरों के रूप में, सामुदायिक सदस्यों से उनकी दूरदर्शी सोच (विज़न) तथा उनके गांव के लिए उनके सपनों, उनके सरोकारों तथा यह विज़न साकार करने की राह की चुनौतियों, अवरोधों से पार पाने और सपने पूरे करने के लिए ज़रूरी उपायों आदि पर बात करें। आमतौर से, समुदाय के लोग दृश्यमान, भौतिक मसलों, जैसे कि सड़कों, पानी, स्वास्थ्य केंद्रों आदि के बारे में बात करते हैं। किशोरवय लोग खेल के मैदान, कम्प्यूटर या व्यावसायिक केंद्रों की

ज़रूरत के बारे में बात कर सकते हैं। अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों जैसे कि लैंगिक हिंसा के कारण कुपोषण, लड़कियों का स्कूल छूटना आदि की तरफ उनका ध्यान दिलाने तथा लैंगिक हिंसा के विशिष्ट मसलों की दिशा में चर्चाएं मोड़ने के लिए यह उचित समय होता है।

प्रत्येक समुदाय में आपको अपने सहयोगी खोजने होंगे। ये पंचायत सदस्य, स्कूल अध्यापक, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता या युवा आदि हो सकते हैं। हितधारकों का विश्लेषण करके तथा उनके साथ कार्य करने के नफे-नुकसान को समझकर अपने सहयोगी पहचानें। उदाहरण के लिए, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सदस्य होने के नाते आशा कार्यकर्त्री की महिलाओं, ग्रामीण नेताओं तथा बुजुर्गों तक आसान पहुंच होती है। वह एनीमिया, युवा गर्भवती महिलाओं की समस्याओं आदि जैसे स्वास्थ्य मसलों तथा इनके कारणों पर चर्चा शुरू कर सकती है और बच्चे व माता के कमजोर स्वास्थ्य तथा मरणशीलता की वजहों के रूप में बाल विवाह व लैंगिक हिंसा के बारे में बता सकती है।

सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए यहां कुछ कार्रवाईयों के सुझाव दिए गए हैं। लैंगिक हिंसा के विरूद्ध स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया या कार्रवाई शुरू करने के लिए विशिष्टता के साथ रचनात्मक रहना भी महत्त्वपूर्ण है।

- घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा, माध्यमिक स्कूल बीच में छोड़ने (स्कूल ड्रॉप आउट) के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने तथा संवेदी बनाने के लिए प्रत्येक उपलब्ध अवसर का उपयोग करें।
  - ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह की बैठकों, स्कूल प्रबंधन समिति की बैठकों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, त्यौहारों आदि के मौके पर आयोजित समारोहों में मानव अधिकार उल्लंघन के रूप में लैंगिक हिंसा के बारे में चर्चा करें।
  - लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह को स्वीकार्यता देने के खिलाफ, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए परिवारों तथा व्यक्तियों को परामर्श दें।
- रणनीतिक नेटवर्क बनाएं और समुदाय में विविध हितधारक समूहों जैसे कि पुरूषों और महिलाओं के समूहों, गांव के बुजुर्गों तथा नेताओं (जैसे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों), अभिभावकों, युवाओं, किशोरियों और किशोरों के समूहों, अध्यापकों तथा कार्यकर्ताओं में सहयोगी खोजें।
  - गांव में विभिन्न स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता लें जैसे कि बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति, इत्यादि।
  - किशोरियों या किशोरों के समूह बनाएं और उन्हें सुदृढ़ बनाएं और उनको लैंगिक हिंसा के असर तथा कानून की जानकारी दें।
- विविध अवसरों जैसे कि ग्राम सभा, ममता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह, इत्यादि के मौकों पर लैंगिक हिंसा तथा इसके प्रभाव के बारे में बात करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, आदि) के कार्मिकों को आमंत्रित करें।
- हिंसा रोकने या रोकथाम करने के कुछ फायदे समझ में आने पर लोग लैंगिक हिंसा का विरोध करने के लिए प्रेरित और सहमत होने लगते हैं।
  - विलम्ब से विवाह करने, लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, आजीविका अवसर बढ़ाने आदि हेतु सरकार द्वारा दिए जाने वाले विविध प्रोत्साहनों और योजनाओं के बारे में जानकारी दें।
  - संबंधित विभागों से एक साथ संपर्क बनाने में सहायता प्रदान करें ताकि परिवार, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के फायदे ले सकें और लैंगिक हिंसा तथा शोषण की रोकथाम के लिए प्रेरित हो सकें।
  - बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा, तथा लड़कियों और लड़कों के विवाह से पहले उनके द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक स्तरीय शिक्षा पूरी करने के महत्त्व पर बात करें।
  - लैंगिक हिंसा पर केंद्रित कानूनों पर बात करें और यह बताएं कि किस तरह से ये कानून न पालन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- विविध जातियों के बुजुर्गों और नेताओं को उनके समुदायों या जातियों में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, जेंडर आधारित लिंग चयन तथा यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराते हुए उन्हें शामिल और प्रेरित करें।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के गांव, प्रखंड, तथा जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को प्रेरित करके उनकी पंचायतों में बाल विवाह के विरोध में प्रस्ताव पारित कराएं।

सामुदायिक कार्यकर्ता/मोबिलाइजर इस संसाधन पुस्तिका का कैसे उपयोग कर सकते हैं?

इस संसाधन पुस्तिका के सुझाव, सामुदायिक कार्यकर्ताओं की अधिकांश कार्यक्रम क्रियान्वयन रणनीतियों में सहायता कर सकते हैं-क्षमता निर्माण सत्रों के दौरान, समूह चर्चाएं तथा सामुदायिक लामबंदी गतिविधियां जैसे कि नुक्कड़ नाटक आयोजित करते समय तथा उच्चतर सरकारी प्राधिकारियों के समक्ष इस उद्देश्य की पैरवी करते समय। यह उनको सूचनाओं, तर्कों, तथा तर्कों के जवाबों से लैस करेगा ताकि वे विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध रूप से कार्य कर सकें।

प्रत्येक चिन्हित प्रमुख हितधारक के लिए, लैंगिक हिंसा समाप्त करने में उनकी संभावित भूमिका से संबंधित पहलुओं, तथा उनके द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ताओं के समक्ष खड़ी की गई चुनौतियों को कवर किया गया है। प्रमुख हितधारकों में किशोरवय (लड़कियां तथा लड़के दोनों), सामुदायिक सदस्य (अभिभावक और संरक्षक), संरक्षण/प्रतिषेध अधिकारी (CMPO/CDPO), धार्मिक नेता, तथा पंचायत सदस्य शामिल हैं।

अनुभाग

2

बाल विवाह, भेदभाव और हिंसा के समाधान के लिए समुदाय के साथ कार्य करना

भेदभाव, बाल विवाह और हिंसा के उन्मूलन में समुदाय की भूमिका

सामुदायिक सदस्य विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं-जनमत प्रेरक, अध्यापक, तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता। इन भूमिकाओं में वे ऐसे अभिभावकों तथा किशोरवयों को महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं जो घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बीच में स्कूल छोड़ना, जेंडर आधारित लिंग चयन, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा की रोकथाम करना चाहते हों। अन्य सामुदायिक सदस्यों को इस बारे में सहमत करने के लिए उन्हें अच्छी सूचनाओं तथा तर्कों की आवश्यकता होती है कि लैंगिक भेदभाव और हिंसा, किशोरवयों, महिलाओं, बच्चों, तथा समग्र रूप में समुदाय के लिए हानिकारक है।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं/मोबिलाइजरों के रूप में, लैंगिक हिंसा को चुनौती देने के लिए व्यापक समुदाय की साझेदारी में निम्न कदम उठाए जा सकते हैं :

- एक समिति बनाएं जिसमें एक CSO सदस्य, ICDS/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, धार्मिक नेता, पुलिस, स्कूल के अध्यापक आदि शामिल हों। ये समितियां, परिवारों की जागरूकता बढ़ाने तथा लैंगिक हिंसा होने पर कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में कार्य कर सकती हैं।
- घरेलू हिंसा, बाल विवाह, जेंडर आधारित लिंग चयन, बीच में स्कूल छोड़ने वाले, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न के मसलों सहित लैंगिक हिंसा के कुप्रभावों को रेखांकित करने वाले मामलों के अध्ययन, परिवारों के समक्ष प्रस्तुत करें।
- ऐसे समुदायों से सफलता की कहानियों के बारे में बताएं, जहां समानता, न्याय, और समग्र मानव व बाल अधिकारों का पालन किया जाता हो।
- लैंगिक हिंसा के मसलों को लक्ष्य बनाते हुए समुदाय/गांव स्तर पर लोक कला/नुक्कड़ नाटकों को बढ़ावा दें।
- लैंगिक हिंसा के खात्मे से संबंधित सफलता की कहानियों वाली फिल्में और वीडियो संदेश प्रदर्शित करें।
- परिवर्तन गीत के साथ प्रभात फेरी निकालें (सुबह के समय बस्ती में आध्यात्मिक गीत गाते हुए प्रयाण करने की परम्परा, यह ऐसा अनुभव होता है जो सुबह के शांतिपूर्ण समय के दौरान लोगों को भावविभोर करता है), लैंगिक हिंसा के विरूद्ध दीवारों पर संदेश लिखें।
- स्वयं सहायता समूहों की सहायता से लैंगिक हिंसा के मसलों के बारे में प्रशिक्षण आयोजित करें-कानून तथा अन्य आयामों के बारे में भी जानकारी शामिल करें।

- लैंगिक हिंसा के खात्मे को लक्ष्य बनाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दें।

स्कूली ढांचे (स्कूल प्रबंधन समितियां तथा ग्राम शिक्षा समिति) से घनिष्ठ तालमेल बनाकर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।

- विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्कूल छोड़ देने आदि की जांच करें।
- किशोरवयों में जीवन कौशलों को बढ़ावा दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 'मान' भंग करने, तथा बालिकाओं का महत्त्व समझने, शीघ्र विवाह न करने, निर्णय करने तथा बातचीत के कौशल विकसित करने का महत्त्व समझें।
- उम्र के अनुसार जानकारी प्रसारित करें और स्कूल छोड़ने की घटनाएं रोकने, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, यौन उत्पीड़न तथा बाल विवाह रोकने के लिए गतिविधियों की योजना बनाएं।
- लैंगिक हिंसा रोकने के लिए युवाओं की समितियों सहित युवाओं का एक कैडर तैयार करें।
- अध्यापकों के साथ जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
- विद्यार्थियों से बातचीत की सहभागी विधियां इस्तेमाल करें- लैंगिक हिंसा तथा यौनिकता के मसलों के दोनों पहलू।
- सरकारी योजनाओं की जानकारी दें तथा नई जानकारियां दें।
- क्षेत्र में अन्य स्कूलों के अध्यापकों के साथ एक नेटवर्क बनाएं।

लैंगिक भेदभाव तथा हिंसा को लेकर सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा, सामना किए जाने वाले जोखिम और तर्क

- लैंगिक हिंसा, ऐसे सांस्कृतिक तथा सामाजिक पितृप्रधान मानकों और विधियों का परिणाम है जो महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने वाले अधिकारों की अस्वीकृति में परिलक्षित होती हैं, और उनको परिवार व समाज में अधीनता का दर्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं। यह प्रथा, महिलाओं व लड़कियों को उनके मौलिक अधिकार हासिल करने से रोकती है व आवाजाही, शिक्षा, आजीविका, विवाह, प्रजनन विकल्प आदि पर निर्णय करने तथा यहां तक कि हिंसा को उजागर करने की उनकी क्षमता को भी बाधित कर देती है। पुत्रों को अधिक वरीयता की गहराई तक पैठी सोच, लड़कियों को अहमियत न देने, जहां लड़कियों को दहेज, यौन हिंसा के भय, तथा पुत्रियों को पराया धन मानने की परम्परागत धारणा की वजह से बोझ समझा जाता है, और संपत्ति में बंटवारे की आशंका के कारण यह प्रथा और भी गंभीर रूप धारण कर लेती है।
- हितधारक के रूप में यह आपके लिए महत्त्वपूर्ण है कि आप यह प्रथा खत्म कराने के लिए सामुदायिक सदस्यों को कदम उठाने हेतु सहमत करें। इसके लिए, आपमें प्रबल प्रतिबद्धता, तथा अपने जीवन में भी लैंगिक समानता अपनाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके लिए यह भी अपेक्षा है कि अपने साथियों से तथा समुदाय से इस मसले पर संवाद करने के लिए आपके पास सही भाषा और तर्क हों।
- सामुदायिक कार्यकर्ता और मोबिलाइजर, वृहद समुदाय के साथ कार्य करते समय कुछ खास तरह के प्रतिरोध व तर्कों का सामना करने की अपेक्षा कर सकते हैं। इस अनुभाग में ऐसे कुछ उचित उत्तर बताए गए हैं जो समुदाय या अन्य संबंधित हितधारकों की ओर से पेश किए जाने वाले तर्कों से निबटते समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

लैंगिक भेदभाव, हिंसा और बाल विवाह के बारे में अभिभावकों तथा समुदाय की भ्रांतियां व प्रतिरोध दूर करने के लिए वार्तालाप के बिंदु

'हम सहमत हैं कि लैंगिक हिंसा खराब बात है।

लेकिन समाज में हर कोई तो यह करता है। हम यह परम्परा कैसे तोड़ सकते हैं?'

परम्पराएं और संस्कृति, समय के साथ बदलती हैं। अब पुरूषों और महिलाओं की भूमिकाएं भी बदल रही हैं। पुरूष और महिलाएं दोनों ही लैंगिक रूढ़ियां और भूमिकाओं से बाहर जा रहे हैं, वे घरों से बाहर काम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, दोनों के लिए जीवन के दबाव एक जैसे बन गए हैं, तकनीक तक पहुंच और मीडिया के प्रसार ने विभिन्न मसलों के बारे में ज्ञान और जानकारी हासिल करना आसान बना दिया है और इस दुनिया को वैश्विक समुदाय बना दिया है। हालांकि शहरी क्षेत्र इस मामले में आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारे समुदाय में भी चीज़ें धीमी गति से बदल रही हैं और यह बदलाव लाने में आप अगुवाकार की भूमिका निभा सकते हैं।

चर्चा शुरू करने के लिए, उस बात के लिए उनकी सराहना करें जिस मामले में वे आपसे सहमत हैं कि लैंगिक हिंसा खराब बात है। कहें कि आपको खुशी है कि वे इस मामले में आपसे सहमत हैं, और फिर आप यह कह सकते हैं:

- आप व आपके परिवार के बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, इस पर सोचते समय आप सामाजिक दबाव महसूस करते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है कि विवाह में देर की वजह से या महिलाओं व लड़कियों का सम्मान करने वाला विवेकपूर्ण व्यक्ति बन जाने की वजह से किसी का बहिष्कार कर दिया गया हो। चर्चा को सामाजिक दबाव की ओर मोड़ें- वे इस बारे में क्या महसूस करते हैं? उन पर कौन दबाव डाल रहा है? इसके उत्तर प्रायः बहुत स्पष्ट नहीं होते। इससे आपको सामुदायिक सदस्यों को इस बारे में प्रेरित करने का अवसर मिलेगा कि वे अपने बच्चों का विवाह अधिक आयु में करें, जेंडर आधारित लिंग चयन रोकें, और मर्दानगी (पुरूषत्व) की ऐसी गलत धारणाएं न पनपने दें जो घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न वाले व्यवहार को बढ़ावा देती हैं।
- अभी कुछ परिवर्तन है, इसमें समय लगेगा: यदि समुदाय के लोग यह महसूस करें कि लैंगिक हिंसा धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी, तो उनको लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले व्यवहारों को सक्रियतापूर्वक हतोत्साहित करते हुए यह प्रक्रिया तेज करने को कहें। अगर हमें पता

है कि लड़कों और लड़कियों से लैंगिक आधार पर भेदभाव का बर्ताव करने का नतीजा यह निकलता है कि लड़के, लड़कियों का सम्मान नहीं करते, लड़कियों को लगता है कि उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है या फैसलों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो यह निश्चित रूप से लैंगिक हिंसा का परिणाम देगा। हमें हिंसा का यह चक्र रोकना होगा।

- यह हर कोई करता है। हम मानक के विरोध में कैसे जा सकते हैं? उनको यह कहते हुए कि 'आगे चलने वाला (लीडर) हमेशा एक ही होता है,' यह तरीका रोकने वाला पहला व्यक्ति बनने तथा मिसाल कायम करने के लिए प्रोत्साहित करें। दीवार गिराने के लिए पहले एक ईंट निकालना महत्त्वपूर्ण होता है, जब यह हो जाता है तो बाकी दीवार आसानी से ढह जाती है। लैंगिक हिंसा के मामले में यह करने के लिए किसी को आगे आना होगा और बाकी उसका अनुसरण करेंगे।

औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वे खुद ही महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

- दुनिया में सभी बड़ी लड़ाईयां पुरूषों द्वारा लड़ी गई हैं, जेलें हिंसक पुरूषों से भरी पड़ी हैं, फिर भी कोई यह नहीं कहता कि पुरूष ही पुरूषों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, या पुरूष महिलाओं के दुश्मन होते हैं। ऐसा कहना एक पुरूषप्रधान सोच को दर्शाता है जिसमें हम रह रहे हैं। महिलाएं जब दुखी होती हैं या समस्याओं से घिरी होती हैं, तो वे अपनी मां, बहन, सहेलियों के ही पास जाती हैं, इसे भी रेखांकित करना होगा कि महिलाएं ही महिलाओं की सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं।
- यह समझा जाना चाहिए कि महिलाएं भी पुरूषप्रधान समाज का हिस्सा हैं और उन्हें भी यही मूल्य और विचारधारा सीखनी होती है। बचपन से ही लड़कियों को एक खास तरह से सोचने, कार्य करने, गतिविधियां और व्यवहार करने के लिए सिखाया जाता है, जिससे पुरूषों के हाथ में शक्ति बनाए रखने में मदद मिलती है। महिलाएं, पुरूषों द्वारा प्रभुत्व दिखाने या पुरूष की ओर से हिंसा का सामना करने पर भी चुप रहती हैं या पुरूषों से सहमत रहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हस्तक्षेप करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं है या मामले में दूसरा कोई विकल्प तक नहीं है।
- पुरूष कमाते हैं, संसाधनों तक उनकी पहुंच होती है, वे गतिशील होते हैं, वे निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनके पास संपत्ति होती है। हालांकि महिलाएं हर चीज़ के लिए पूरी तरह से पुरूषों पर ही निर्भर होती हैं। शक्ति पुरूषों के हाथों में रहती है, महिलाएं मंजूरी पाने तथा मूल संसाधनों तक पहुंच हासिल करने के लिए लगातार परस्पर ही प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं।
- इस भ्रांति को बनाए रखने में अपने फायदे के लिए भी पुरूष इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, दहेज की मांग सास द्वारा की जा सकती है, लेकिन दहेज के तौर पर ली जाने वाली सारी चीज़ें परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा ही उपयोग की जाती हैं या उनके नियंत्रण में रहती हैं।
- परिवार के पुरूषों से बातचीत करते समय यह कहना सुनिश्चित करें कि परिवार के मुखिया के रूप में, आप इस बारे में महत्त्वपूर्ण फैसले करते हैं जैसे कि भूखंड या मकान कहां खरीदा जाना है या किस परिवार में अपने बच्चे का विवाह करना है। इसलिए, कृपया यौन पहचान/बाल विवाह/घरेलू हिंसा के निर्णय को ना कहें। यदि परिवार के बड़े-बुजुर्ग लोग लैंगिक हिंसा के खिलाफ अड़ जाएं, तो यह प्रथा अपने-आप ही समाप्त हो जाएगी।

'पुत्र, परिवार का वंश चलाते हैं, वे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, और आत्मा के मोक्ष के लिए उनकी आवश्यकता होती है।'

- यदि आप अपने आस-पास देखें, तो पाएंगे कि ज्यादातर लड़कियां ही अपने बुजुर्ग अभिभावकों का ख्याल रख रही हैं। इसके अलावा, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे प्रायः अपनी रोजी-रोटी के चक्करों में हमसे काफी दूर चले जाते हैं। गुजारा करने की लागतें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं और बच्चों के लिए अपने बुजुर्ग अभिभावकों को सहारा देना दिनों-दिन कठिन होता जा रहा है। बुद्धिमानी की बात यह है कि अपनी जवानी में ही अपने बुढ़ापे के लिए सारी तैयारियां कर लें ताकि जहां तक संभव हो, अपने बच्चों पर बोझ न बनना पड़े। इसके अलावा, जब हम अपनी संपत्ति में अपने सभी बच्चों को हिस्सा देते हैं तो चाहे वे पुत्र हों या पुत्रियां, बुजुर्ग अभिभावकों की देखभाल करना उनका कर्तव्य बन जाता है।
- महिलाओं को यदि आज़ादी, अधिकार, तथा निर्णय करने की क्षमता दी जाए, तो वे आत्म-निर्भर बनेंगी और खुद के व अपने अभिभावकों की देखभाल करने में सक्षम बन जाएंगी। अपने समुदाय से इस बारे में उदाहरण बताएं।
- अब चीज़ें बदल रही हैं। जनगणना और स्कूल नामांकन वाले फार्मों में माता का नाम भी लिखा जाता है। महिलाओं के योगदान को परिवार, समुदाय तथा संस्थाओं द्वारा सम्मान और मान्यता दिया जाना ज़रूरी है।
- अपने आस-पास किसी से पूछें कि क्या उसे उनके परदादाओं या परदादियों या उनके भी पूर्वजों के नाम याद हैं? ज्यादातर लोगों को ये याद नहीं होंगे। वास्तविकता में, कोई भी अपने पारिवारिक सदस्यों की तीन पीढ़ियों से अधिक के नाम याद नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में हम किस वंश का नाम चलाने की बात करते हैं?
- यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे यह पक्का हो सके कि आपको आपके देश और समाज द्वारा याद रखा जाएगा।
- अब पिंडदान और अंत्येष्टि कर्मकाण्ड महिलाओं द्वारा भी किए जाने लगे हैं। पवित्र बनारस शहर में जहां लोग अपने अंत्येष्टि कर्मकाण्ड कराने को वरीयता देते हैं, मुख्य दाह संस्कार घाट एक महिला तथा उसके परिवार द्वारा संचालित है। देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं व लड़कियों ने अंत्येष्टि कार्य संपन्न किए हैं। इस भ्रांति को भी समाजीकरण की प्रक्रिया और लैंगिक रूढ़ियों द्वारा ही बढ़ावा दिया जाता है।
- आइए 'सम्पूर्ण/संतुलित परिवार' की धारण बदलें। दो लड़कियों, दो लड़कों, या एक लड़के और एक लड़की वाला परिवार भी सम्पूर्ण परिवार हो सकता है। बिना बच्चों या पति-पत्नी की इच्छानुसार बच्चों वाला भी सम्पूर्ण परिवार हो सकता है, लेकिन इसमें बच्चे के लिंग की शर्त आड़े नहीं आनी चाहिए।

‘लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा बड़ी चिंता का विषय रहता है, इसलिए उनको उनके जीवन के मामले में पूरी जिम्मेदारियां न देना ही उचित रहता है।’

- अभिभावक लड़कियां क्यों नहीं चाहते, इसकी एक बड़ी वजह शारीरिक असुरक्षा और हिंसा के खतरे हैं, जिनका महिलाएं और लड़कियां प्रायः सामना करती हैं। आपको समझना होगा कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा करता कौन है? सच्चाई यह है कि महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा के ज्यादातर मामलों में (दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, जेंडर आधारित लिंग चयन, अगम्यागमन तथा बलात्कार भी) पारिवारिक सदस्यों या घनिष्ठ लोगों का ही हाथ रहता है जो महिलाओं के करीब होते हैं और जिन पर वे भरोसा करती हैं।
- अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा लड़कों और पुरूषों को लड़कियों व महिलाओं का सम्मान करना सिखाने, और सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण हेतु उन्हें जिम्मेदारी महसूस कराने की बहुत आवश्यकता है। कृपया अपने लड़कों को यौन उत्पीड़न के विरूद्ध हतोत्साहित करें तथा लड़कियों के खिलाफ फब्तियां कसने से रोकें। हमें ऐसे परिवारों की ज़रूरत है जो किसी भी कीमत पर महिलाओं तथा लड़कियों का अपमान बर्दाश्त न करते हों।
- यदि लड़कियां कम हैं, तो उनकी अहमियत बढ़ जाने की सोच भी एक भ्रांति है। लड़कियों की संख्या घटती रही, तो महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न, तस्करी, तथा यौन दुव्यर्वहार आदि रूपों में हिंसा में बढ़ोत्तरी होगी।
- हिंसा का सामना करने वाली महिला या लड़की के परिवार के सदस्य या समुदाय के रूप में आपको कोई शर्मिन्दगी या लज्जा का अनुभव नहीं करना चाहिए न ही इस वजह से उसकी स्वतंत्रता में कटौती करनी चाहिए। आपको हिंसा की रिपोर्ट अवश्य करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
- जानकारियों के अभाव में जिज्ञासा तथा तनाव, जो कि यौन हिंसा की वजह बनता है, को दूर करने के लिए बुनियादी यौन शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए।
- अभिभावकों के रूप में, आपको अपने पुत्र व पुत्री को समान स्नेह और शिक्षा के समान अवसर तथा अधिकार देने की ज़रूरत है।
- महिलाओं तथा लड़कियों के संपत्ति के अधिकार भी सुनिश्चित करें ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें और दृढ़ बनने तथा हिंसा का प्रतिरोध करने के लिए खुद में आत्मविश्वास महसूस कर सकें।

‘बलात्कार, अजनबियों द्वारा किए जाते हैं और यौन उत्पीड़न को बुलावा देने के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं और ज्यादातर दाखिल किए जाने वाले मामलों में किसी न किसी भांति गलतबयानी की जाती है।’

- यौन उत्पीड़न, बलात्कार का कानूनी शब्द है, लेकिन इसके दायरे में बलपूर्वक यौन संभोग के अतिरिक्त अन्य व्यवहार भी आते हैं। कोई अवांछित यौन संपर्क, यौन आक्रमण है। यह धमकी या बल के उपयोग द्वारा किया जा सकता है या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाता है जब सामने वाला व्यक्ति अपनी सहमति देने में अक्षम हो, जैसे कि नशीली चीजों के प्रभाव में होना। यौन आक्रमण में अवांछित स्पर्श, आलिंगन, या शरीर के यौनांगों को टटोलना शामिल है।
- यौन आक्रमण किसी पर भी हो सकता है, यौन आक्रमण के शिकार लोगों में 6 माह के बच्चे से लेकर 87 वर्ष तक की महिलाएं शामिल पाई गई हैं।
- यौन उत्पीड़न के शिकार, इस उत्पीड़न के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होते, चाहे उन्होंने कुछ भी पहना हुआ हो, कुछ भी कर रहे हों, चाहे वे किसी भी व्यवसाय में हों, या दिन या रात का कोई भी समय हो। इसका दायित्व उत्पीड़न करने वाले का होता है, शिकार कभी भी उत्पीड़न करने वाले के व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ऐसे सभी उत्पीड़नों में से पचहत्तर प्रतिशत की योजना पहले से बनाई गई होती है। जब तीन या अधिक उत्पीड़न करने वाले शामिल हों तो 90% नियोजित होते हैं। यदि दो आक्रमणकारी हों तो 83%. और यदि एक उत्पीड़न करने वालाहो तो 58% मामले पूर्वनियोजित होते हैं।
- अनेक आरोपित यौन उत्पीड़न करने वाले यह स्मरण करने में अक्षम पाए गए कि उनके शिकार कैसे दिखते थे या उन्होंने क्या पहन रखा था।
- विवाह के दायरे में यौन हिंसा एक वास्तविकता है और इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती। महिलाओं की इच्छाओं की पूरी तरह अनदेखी की जाती है और बलपूर्वक सेक्स करना सामान्य बात है। एक सामान्य विश्वास यह है कि अपने पति का सेक्स में साथ देना, पत्नी का कर्तव्य है और यदि किसी भी समय वह उसे ऐसा करने से मना करती है तो इससे उसका पति किसी और के पास जा सकता है। अधिकांश महिलाएं इस बारे में किसी को भी नहीं बतातीं और वर्षों तक चुपचाप सब सहती रहती हैं। कुल मिलाकर, भारत में 35 प्रतिशत महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती हैं, जिनमें कभी विवाहित 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। विवाह के दायरे में अवांछित और बलपूर्वक यौन आचरण को यौन उत्पीड़न माना गया है और इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत वैवाहिक बलात्कार माना गया है।
- ऐसा अनुमान है कि 80-85% बलात्कारी लोग उस व्यक्ति के परिचित होते हैं जिस पर वे आक्रमण करते हैं। छोटी लड़कियों या एकाकी महिलाओं के मामले में ‘किसी परिचित द्वारा बलात्कार’ की घटनाएं अधिक पाई जाती हैं जिनमें कोई मित्र, ज्ञात व्यक्ति, या पड़ोसी आदि लिप्त होता है। आंकड़े दिखाते हैं कि 50% यौन आक्रमण महिलाओं के अपने घर में या उनके आसपास, तथा 50% दिन के समय में होते हैं।
- बलात्कार को प्रायः पीड़ित के पक्ष से ढेर सारी शर्मिन्दगी और कलंक से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मुखर हो पाना और न्यायालय में मामला दाखिल करना बहुत कठिन होता है। न्याय पाने में लगने वाला समय भी महिलाओं को मामला दाखिल करने से रोकता है। वास्तव में बलात्कार के ज्यादातर मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती और रिपोर्ट किए जाने वाले लगभग सभी मामले सत्य होते हैं।

‘हमारी पुत्रियों का विवाह जल्दी कर देने से हमारे धन और खर्चों की बचत होगी।’

यह एक गलत विश्वास है और इस बारे में इस तरह से समझाया जा सकता है:

- जब आप अपनी पुत्री का विवाह जल्दी करते हैं तो ससुराल वाले परिवार को तीज-त्यौहारों तथा दूसरे मौकों पर उपहार आदि देना भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जब आप उसका विवाह उसके भावनात्मक, शारीरिक, और आर्थिक रूप से विवाह हेतु तैयार हो जाने के बाद करेंगे तो वह बातचीत करने और फैसले लेने में सक्षम होगी।
- आपकी पुत्री जल्दी गर्भवती हो जाएगी। क्योंकि अभी उसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है, ऐसे में गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं पैदा होने के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना रहती है कि उससे पैदा होने वाले बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और इलाज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे आपकी पुत्री तथा उसके बच्चे के चिकित्सा खर्चों में ही बढ़ोत्तरी होगी।
- यदि आप अपनी पुत्री को गौना करने के बाद उसके पति के घर भेजेंगे तो आपके परिवार को दूल्हे-दुल्हन, ससुरालियों आदि के लिए उपहारों पर फिर खर्च करना पड़ेगा और फिर से एक दावत का बोझ उठाना पड़ेगा। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह उसके वयस्क हो जाने पर करते हैं जबकि वह विवाह और इससे जुड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हो, तो गौना करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे खर्चे की बचत होगी।
- आपकी पुत्री के वयस्क होने तक उसका विवाह टाल देने से इसकी संभावना बन जाती है कि कानूनी उम्र के बाद लड़कियों का विवाह करने पर जो सरकारी योजनाओं वाली मदद मिलती है, वह मिल जाएगी।
- अगर आप बचपन में ही अपनी पुत्री का विवाह करने के बजाय उसे पढ़ाते हैं, तो वह बड़ी होकर आत्मनिर्भर बनेगी और आपकी देखभाल करने के साथ अपने विवाह के लिए धन भी जुटा सकती है।

‘हमें भय है कि लड़की को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, वह घर से भाग सकती है या और कोई गलत कदम उठा सकती है, इसलिए उसका विवाह करके अपने घर से भेज देना ही बेहतर है।’

- यह भय पुरूषप्रधान सोच पर आधारित है, जो पारिवारिक सम्मान को पुत्रियों की यौन पवित्रता के संरक्षण से जोड़कर देखती है। यह सोच बदलने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं:
- अभिभावकों के रूप में, आपको अपनी पुत्री पर भरोसा करना चाहिए और ऐसा करने पर वह भी आपका भरोसा कायम रखेगी। यदि आप उसे अच्छे मूल्य सिखाते हैं, तो वह आपको नीचा नहीं देखने देगी।
- इस बारे में चर्चा करें कि पिछले साल गांव से कितनी लड़कियां भागी हैं। आमतौर से यह भय अफवाहों पर आधारित होता है और गांव में इस तरह भागने की घटनाएं बिरले ही घटित होती हैं।
- सामुदायिक सदस्यों से लड़कियों द्वारा गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने के मामलों की संख्या देखें, जो गलत हो गए। पुत्रियों या बहुओं के ऐसे कुछ मामले अवश्य ही मिल जाएंगे जिनमें गर्भावस्था के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान मौतें हुई हों। इसलिए कुछ निराधार शंकाओं की वजह से हमारी पुत्रियों का जीवन खतरे में डालने की कोई तुक नहीं बनती है।
- हिंसक और अत्याचारी व्यवहार पति के घर में भी हो सकता है। पर्याप्त उम्र हो जाने पर लड़कियां ऐसी कठिन स्थितियों से निबटने, अपनी सुरक्षा करने, तथा उस घर में अपनी स्थिति को लेकर बातचीत करने के लिए अधिक मजबूत बन चुकी होती हैं।

‘लड़की की माहवारी शुरू हो जाने पर वह विवाह के लिए तैयार हो जाती है। लड़का किशोर हो जाने पर रोजगार में लगाने के लिए तैयार हो जाता है।’

- ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरावस्था की कोई अवधारणा या समझ नहीं होती। समुदाय यह महसूस करता है कि जैसे ही कोई लड़का या लड़की

1. परंपरा के अनुसार लड़की की विदाई की रस्म - जिस में दुल्हन को अपना वैवाहिक जीवन आरम्भ करने के लिए ससुराल भेजा जाता है

अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वे वयस्क भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं चाहे आजीविका कमाने का मामला हो या विवाह करने का। हालांकि यह अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए कि 18 की आयु से पहले लड़कियां और लड़के दोनों बच्चे ही होते हैं। वे वयस्कों पर आश्रित होते हैं और यह सुनिश्चित करना उनके अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों की जिम्मेदारी है कि उनको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, विकास आदि के समान अवसर दिए जाने चाहिए।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि लड़कियां और लड़के जब 18 वर्ष की आयु पार करेंगे तो वे निर्णय करने में समर्थ होंगे, उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी और वे विवाह या आजीविका के मामलों में अधिक बुद्धिमानीपूर्वक अपने विकल्प चुन सकेंगे।
- कम उम्र में बच्चों को विवाह करने या काम करने के लिए विवश करना या प्रलोभित करना, गैरकानूनी है और कानूनन दण्डनीय है।
- जिन बच्चों को विवाह करने, बच्चे पालने, या जल्दी काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है इसका उनके जीवन पर दीर्घकालीन असर भी पड़ता है जो उनको निर्धनता, बीमारियों और हिंसा के दुश्चक्र मे धकेल देता है।

'पुत्री के लिए अच्छा जोड़ मिलते ही उसका विवाह कर देना उचित रहता है। बाद में हमें उसके लिए सही जोड़ा न मिला तो क्या होगा?'

- यह आम चिंता है। ऐसा कदाचित ही कभी होता है कि लड़की का विवाह टाल दिए जाने पर उसका विवाह हो ही नहीं पाता। आप अभिभावकों को यह बता सकते हैं:
- अनेक परिवार ऐसे होते हैं जो अपने पुत्रों के लिए शिक्षित और परिपक्व दुल्हनें पसंद करते और चाहते हैं। अपनी पुत्री को पढ़ाएं, उसे योग्य और आत्मनिर्भर बनाएं, और अभी आपके पास उसके लिए जो विकल्प हैं, उनसे हर हाल में बेहतर जोड़ मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी।
- जब बच्चों का कम उम्र में विवाह हो जाता है तो सदैव इस बारे में एक भय बना रहता है कि पता नहीं वे बड़े होने पर क्या कर पाएंगे। आपको पता नहीं होता कि जो दूल्हा आपने खोजा है क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा, क्या वह अच्छी आजीविका कमाने के लायक बन पाएगा, अच्छा पति बनेगा, और अशिक्षत, बेरोजगार ही नहीं रह जाएगा, किसी लत का शिकार तो नहीं हो जाएगा या अन्य कुछ गलत तो नहीं घटित हो जाएगा। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह देर से करते हैं और लड़का भी वयस्क होता है, तो आप देखेंगे कि लडके और लड़की परिपूर्ण व्यक्ति बन चुके होते हैं जो अपने जीवन की जिम्मेदारियां समझ और उठा सकते हैं।
- दुल्हन और दूल्हे दोनों यदि वयस्क हैं, तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि वे भावनात्मक रूप से परिपक्व होंगे, और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से संभाल पाएंगे। इससे अधिक अनुकूलता, सौहार्द, तथा जीवन में आगे चलकर आने वाली समस्याओं के अधिक बेहतर समाधान संभव हो सकेंगे।

'अगर हम अभी अपनी पुत्री का विवाह टाल दें तो बाद में हम उसके विवाह की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे?'

सामुदायिक सदस्यों को बताएं कि :

- कई सरकारी योजनाएं हैं जो लड़कियों को नकद प्रोत्साहन देकर सहायता करती हैं। ये योजनाएं, कानूनी आयु के उपरांत किए जाने वाले एकल (उदा. गुजरात में कुंवरबैनू मामेरू या झारखण्ड में मुख्य मंत्री लाडली लक्ष्मी योजना) या सामूहिक (उदा. सात फेरा समूह लग्न, गुजरात) विवाहों में सहायता देती हैं। इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों के तहत पात्रता मानक तथा प्रक्रियाओं के बारे में स्थानीय सरकारों द्वारा सूचित किया जाता है और अपने वार्ड के प्रतिनिधि या पंचायत सचिव से संपर्क करके आप इस बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आप अभी अपनी पुत्री को पढ़ाते हैं तो वह खुद भी कुछ आमदनी करने लायक बन सकती है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर राज्य सरकारों ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं, और इस बारे में अधिक जानकारी उक्तानुसार हासिल की जा सकती है।

इसके अलावा, सामुदायिक कार्यकर्ता इस तर्क के विरूद्ध एक प्रगतिशील रवैया अपना सकता है और उसे ऐसा ही करते हुए निम्न सुझाव देने चाहिए:

- विवाह के लिए परम्पराएं, प्रथागत अनुष्ठान आदि अनिवार्य नहीं हैं। रजिस्टर कराकर तथा न्यायालय में उपस्थित होकर भी विवाह किए जा सकते हैं। इससे ढेरों खर्चे बचते हैं, और विवाह की कानूनी वैधता भी सुनिश्चित होती है।
- विवाहों में बहुत सारे अनावश्यक बर्बादी वाले खर्चे होते हैं। समुदाय को सरल विवाह के नियम लागू करने चाहिए, जिनमें दावतों, उपहारों, सजावटों आदि को सीमित करने वाले प्रतिबंध लगाए जाएं।

'हमें अपनी पुत्री को क्यों पढ़ाना चाहिए? आखिरकार तो उसे घर-परिवार की देखभाल ही करनी है।'

शिक्षा, केवल आजीविका के लिए नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होती है। यह सोच-विचार का दायरा बढ़ाती है और बच्चों को नए विचारों, ज्ञान और सूचनाओं के संपर्क में लाकर व्यक्ति को जीवन में प्रगति करने में मदद करती है।

- शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है। एक शिक्षित लड़की बेहतर जानती है कि उसे अपनी व अपने परिवार की देखभाल कैसे करनी है। परिवार तथा समुदाय में उसे अहमियत और सम्मान मिलता है।
- अगर अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी महिला का पारिवारिक सहारा छूट जाए, और अगर वह शिक्षित और कुशल है, तो वह अपनी व अपने बच्चों की देखभाल कर पाने में सक्षम होगी। वह स्वतंत्र होगी और उसे आपकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।
- महिलाओं की शिक्षा के आधार पर घरेलू हिंसा के मामलों में अंतर उल्लेखनीय है। भारत में 44% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से कभी न कभी हिंसा का सामना किया, और 26% ने पिछले 12 महीनों के दौरान हिंसा का सामना किया। ये अनुपात, शिक्षा के साथ उल्लेखनीय रूप से गिर जाते हैं, तथा 12 या अधिक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के संगत अनुपात क्रमशः 14% और 6% हैं। जो महिलाएं शिक्षित हैं और कार्यशील हैं, उनकी आर्थिक विकल्पों तथा सामाजिक सहायता व्यवस्थाओं तक पहुंच अधिक हो सकती है, जो उनको

दुर्व्यवहार करने वाले पति को छोड़ने तथा हिंसा से मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाती है।

हमारी दादी, माता, आदि का विवाह कम उम्र में हुआ। उनके अनेक बच्चे हुए, जो जीवित रहे और अभी भी राजी-खुशी से हैं। इसलिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली यह सोच सही नहीं है।

- आरंभिक पीढ़ियों में महिलाओं के विवाह जल्दी हो जाया करते थे और उनके कई सारे बच्चे होते थे, जिनमें से अनेक जीवित नहीं बच पाते थे। अनेक महिलाओं की मृत्यु प्रसव के समय हो जाया करती थी। बच्चों और माताओं की मौतों और बीमारियों की जड़ में बाल विवाह एक बड़ा कारण हुआ करता था। इसी स्थिति को क्यों जारी रहने देना चाहिए? हमें अधिक स्वस्थ परिवार, तथा सशक्त और स्वस्थ लड़कियों और लड़कियों वाला समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बाल विवाह, लड़कियों की पढ़ाई की राह में भी बड़ी बाधा बनता है।

'घरेलू हिंसा केवल गरीब घरों में होती है जहां शराब का प्रचलन अधिक होता है। यह वास्तव में बच्चों को प्रभावित नहीं करती।'

- घरेलू हिंसा किसी भी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हो सकती है। यह देश और दुनिया के हर भाग में, हर जातीय, धार्मिक समूह में, धनी और निर्धन, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण घरों में, शिक्षित और अशिक्षित लोगों वाले घरों में देखी जाती है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-3) के साक्ष्यों से भारत में सभी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जनसंख्या उपसमूहों में घरेलू हिंसा की प्रकृति और विस्तार का पता चलता है। 15-49 आयु वाली महिलाओं के मामले में पति की ओर से की जाने वाली हिंसा, घरेलू हिंसा का सबसे प्रचलित रूप है, जिसके साथ 15 वर्ष की आयु से, तथा पिछले 12 महीनों के दौरान कभी घरेलू हिंसा का अनुभव करने की संभावना शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में ज्यादा पाई गई।
- घरेलू हिंसा, सामाजिक रूप से सीखा जाने वाला व्यवहार है, जो अनिवार्य रूप से मानसिक बीमारी या नशीली चीजों के दुरूपयोग के परिणाम नहीं देता। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले पुरूष प्रायः अपने हिंसापूर्ण व्यवहार के बहाने के तौर पर अधिक शराब पीने लगते हैं। इस तरह से वे शारीरिक हिंसा करने की गलती की जिम्मेदारी निजी तौर पर लेने के बजाय शराब के असर पर डालने लगते हैं।
- यह रोचक है कि प्रायः घर में अपनी जीवनसाथी से दुर्व्यवहार करने वाले पुरूष, घर के बाहर नहीं लड़ते। दुर्व्यवहार करने वाले पुरूष जिनको शक्ति और नियंत्रण की ज़रूरत होती है, वे प्रायः ऐसे लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक कमजोर, अधिक दब्बू, या अधिक असुरक्षित होते हैं। आपने शायद ही कभी किसी शराबी व्यक्ति को किसी पुलिसवाले से या प्रभावशाली व्यक्ति से लड़ते देखा होगा।
- हिंसा के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित सबसे मूलभूत मानवाधिकार, अर्थात हिंसा मुक्त जीवनयापन करने के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। हिंसा के ये दीर्घकालीन परिणाम न केवल महिलाओं बल्कि उनके पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। जहां एक तमाचा, किसी महिला को कोई विशेष शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकता है वहीं यह उस पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है और उसके कमजोर मानसिक स्वास्थ्य और आत्मप्रतिष्ठा में कमी का कारण बन सकता है। विविध रूपों में की जाने वाली हिंसा, भय, व्याकुलता, गर्भपात, आत्महत्या, और स्थायी विकलांगता आदि तक के परिणाम दे सकती है।
- अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश बच्चे, अपनी मां से की जाने वाली हिंसा को भली-भांति समझते हैं। जो पुरूष अपने जीवनसाथियों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके द्वारा घर में बच्चों से भी दुर्व्यवहार करने की बहुत संभावना रहती है। हिंसक वातावरण में बड़े होने वाले बच्चे भी हिंसा करना सीख लेते हैं। उनमें भय, हिचक, आक्रामकता, तथा आत्मविश्वास की कमी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे 30% लड़के, जिन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया, वे बड़े होने पर खुद भी दुर्व्यवहार करने वाले बन गए। वैश्विक अध्ययनों में यह प्रमाणित किया गया है कि बचपन में हिंसा का सामना करना, वयस्कों द्वारा अपने जीवनसाथियों से हिंसा करने का प्रबल और स्थायी जोखिम कारक बनता है।

अनुभाग

3

धार्मिक नेताओं के साथ कार्य करना

बाल विवाह लैंगिक भेदभाव तथा हिंसा के उन्मूलन में धार्मिक नेताओं की भूमिका

लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं और यह उनको पहचान की एक भावना देता है। ये संस्थाएं उनके लिए महत्त्वपूर्ण हैं, और इनकी प्रविधियां प्रायः निजी जिंदगी की घटनाओं जैसे कि विवाह, गोद लेना, संरक्षकत्व, रखरखाव, तलाक आदि पर लागू होती हैं। यह परिवार में तथा समुदाय में उनके रिश्तों, सामाजिक अंतक्रियाओं के बारे में उनके मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते और आकार देते हैं और अनुष्ठान, त्यौहार, तथा अन्य धार्मिक आयोजनों के तौर-तरीके निर्धारित करते हैं।

सभी धर्म बुनियादी मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं जैसे कि प्रेम, करूणा, दयालुता, उदारता, अहिंसा, परमार्थ, और कल्याण, तथा शांति। ये मूलभूत मूल्य सार्वभौमिक हैं और अधिकांश धार्मिक नेता, संत या पंथों के नेता ये संदेश फैलाते हैं। ये मूल्य वही हैं जिन्हें मानवाधिकारों के बारे में विविध अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संधियों, कानूनों, और नीतियों में स्थान दिया गया है और जो व्यक्ति तथा उसकी वृद्धि व विकास के अधिकार को मान्यता व अहमियत देते हैं। अतः प्रमुख धार्मिक मूल्य, मानव अधिकारों की रूपरेखा के अनुरूप हैं।

हम धार्मिक नेताओं से जुड़कर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे लैंगिक हिंसा समाप्त कराने की दिशा में कार्य करें और समुदाय में ऐसे दृष्टिकोणों, विश्वासों तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाने में मदद करें जो बच्चों व महिलाओं के लिए हानिकारक हैं।

लैंगिक हिंसा को चुनौती देने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं/मोबिलाइजरों के रूप में धार्मिक नेताओं से साझेदारी में निम्न कदम उठाए जा सकते हैं :

- हमारे घरों, समुदायों और संस्थाओं में लैंगिक हिंसा का सामना करने के लिए सभी धार्मिक नेताओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाएं।
- धार्मिक नेताओं के साथ जनपैरवी- धार्मिक नेताओं से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया जा सकता है-सरल विवाहों को बढ़ावा देना, जिनमें दहेज न चले तथा संपत्ति का दुरूपयोग न किया जाए। यदि वे ऐसे किसी विवाह में आमंत्रित हों या विवाह हेतु अनुष्ठान कराने के लिए उनसे आग्रह किया जाए-तो उन्हें मिलकर दूल्हे और दुल्हन की आयु का पता लगाना चाहिए। यदि वे पाएं कि उनमें से किसी की आयु कानूनी रूप से कम है, तो वे इस बारे में सामुदायिक सदस्यों/गांव के नेताओं/अभिभावकों और संरक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। उन्हें इन लोगों

को बाल विवाह के कारण होने वाली समस्याएं/दोष बताने चाहिए।

- चूंकि उन्हें जन्मपत्री/भविष्यफल व बच्चों से संबंधित अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए कहा जाता है, इसलिए उन्हें अभिभावकों तथा पारिवारिक सदस्यों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अपने बच्चों की उचित देखभाल करें, उनको उनके सारे मूल अधिकार प्रदान करें, और लड़कों व लड़कियों के बीच कोई भेदभाव न करें।
- सार्वजनिक भाषणों, सत्संग, प्रवचन आदि में वे सम्मान, शांति, समानता के मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- धार्मिक नेताओं से सीधे जुड़ें और इन चर्चाओं में धार्मिक नेताओं को लाने के लिए SHG को भी जोड़ें।
- स्वास्थ्य, शिक्षा व ऐसे ही अन्य मसलों पर काम करने वाली समितियां भी धार्मिक नेताओं को एकजुट करने के लिए मदद कर सकती हैं क्योंकि ये सारे मसले आपस में संबंधित होते हैं।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक नेताओं से संबंधित सामना किए जाने वाले जोखिम और तर्क

सामुदायिक कार्यकर्ता तथा मोबिलाइजर, धार्मिक नेताओं के साथ कार्य करते हुए कुछ निश्चित जोखिमों और तर्कों का सामना कर सकते हैं। इस अनुभाग में कुछ उचित उत्तर दिए गए हैं जो ऐसे जोखिमों व तर्कों के समाधान हेतु उपयोग किए जा सकते हैं।

विवाह की शर्तों के बारे में धर्मग्रन्थ क्या कहते हैं? क्या विवाह की अधिकृत आयु के बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन है?

- भारत में माने जाने वाले अधिकांश धर्मों व उनके विभिन्न पंथों (संप्रदायों) में विवाह की आयु निर्धारित करने का कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि अन्य संदर्भों में मानसिक परिपक्वता, जब जोड़ा शारीरिक और मानसिक रूप से गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए, सहमति का महत्त्व, विवाह के कर्मकाण्ड, विवाह के बारे में अभिभावकों/संरक्षकों के कर्तव्य आदि का उल्लेख किया गया है। विवाह की आयु प्रायः धर्मशास्त्रियों या धार्मिक विद्वानों द्वारा तय की जाती थी जो धार्मिक पाठों या कहावतों या इतिहास में धार्मिक नेताओं के जीवन की व्याख्या करते थे। ये व्याख्याएं कमोवेश तत्कालीन समाज में प्रचलित सामान्य सामाजिक दशाओं, व विश्वासों पर आधारित होती थीं। हमारे दौर, तथा हमारे बच्चों की देखभाल और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, विवाह की आयु कानूनी आयु के बराबर या उससे अधिक ही होनी चाहिए।

हमें ऐसी प्रथा के विरोध में क्यों समझाना चाहिए/कैसे समझा सकते हैं जो सदियों से चली आ रही है?

- यदि कोई प्रथा जैसे कि भ्रूण/शिशु हत्या, दहेज, सती, बाल विवाह आदि देश के कानून के खिलाफ हो, तो धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को अपने समुदाय को कानून का उल्लंघन न करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- देश के कानून का पालन कराएं: भारत का संविधान, अपने समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जिनमें धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है, तथा उनके मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। सामुदायिक और धार्मिक नेताओं के रूप में यह आपका कर्तव्य तथा जिम्मेदारी है कि देश के कानून का पालन कराएं। इस देश का नागरिक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि अपने अनुयायियों को कानून का उल्लंघन न करने दें और उनको बाल विवाहों की रोकथाम करने के लिए प्रेरित करें।
- मानवाधिकारों तथा बाल अधिकारों का पालन कराएं: मनुष्य के रूप में प्रत्येक बच्चा, अंतर्निहित अधिकार लेकर पैदा होता है और इसे सभी धार्मिक परम्पराओं द्वारा मान्यता दी गई है। जीवन का अधिकार, जिसमें बच्चे का विकास भी शामिल है, को संरक्षण तथा बढ़ावा देने की जिम्मेदारी को सभी धर्मों में स्वीकृत किया गया है।
- प्रेम, दयालुता, तथा शांति के सिद्धांतों को बढ़ावा दें, जो सभी धर्मों के मूलभूत मूल्य हैं: सभी धर्म, प्राणिमात्र का सम्मान करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हमें सोद्देश्य किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से, बाल विवाह की प्रथा प्रमुख धर्मों में प्रतिष्ठित मूलभूत मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए नुकसानदेह है।
- सोच-विचार प्रेरित करें, संवाद मजबूत बनाएं और प्राथमिकताएं तय करें: नेता में लोगों, परिवारों और समुदायों का बहुत भरोसा और विश्वास रहता है। नेता का प्रभाव दूर-दूर तक रहता है और अनुयायियों पर उसकी बात का स्थायी असर पड़ता है।

हम एक संप्रदाय/छोटे समुदाय के नेता हैं। हमारी राय से कोई अंतर कैसे पड़ सकता है?

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा/या समुदाय अपनी पहचान और मूलभूत मूल्य अपने धर्म से ही प्राप्त करता है। इसलिए, किसी नेता की राय अंतर उत्पन्न कर सकती है और समुदाय की प्रथाओं और परम्पराओं में परिवर्तन का रूझान ला सकती है।

इसके अलावा, परिवर्तन हमेशा छोटे पैमाने पर ही शुरू होता है। कोई दीवार गिराने के लिए हमें पहले उसकी केवल एक ईंट निकालनी होती है, जिसके बाद पूरी संरचना ढह जाती है। इसी तरह से, हमारे समाज में भेदभाव वाली प्रथाओं का खात्मा करने के लिए, एक समूह, एक नेता को शुरूआत करनी होगी और दूसरे उसका अनुसरण करेंगे।

समुदाय में लैंगिक हिंसा और भेदभाव से संबंधित व्यवहार मे परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

- आप अनेक तरीकों से परिवर्तन ला सकते हैं लेकिन लैंगिक हिंसा का खात्मा करने के लिए की जाने वाली किसी भी तरह की कार्यवाही सामुदायिक सदस्यों के सहयोग से ही की जानी चाहिए:

- **जागरूकता उत्पन्न करें:**
  - » बाल विवाह, दहेज, जेंडर आधारित लिंग चयन, भ्रूणहत्या आदि के खिलाफ, जो कि भारत में गैरकानूनी प्रथाएं हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए ढांचा निर्मित किया है;
  - » किशोरवय बच्चों की वृद्धि और विकास पर बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव के नकारात्मक प्रभावों, तथा उन्हें संरक्षित किए जाने के बारे में;
  - » धार्मिक मूल्यों तथा उचित आचरण की सही व्याख्या के बारे में, जो गरिमा, सम्मान, समानता और शांति को बढ़ावा देते हों।
- **यह निम्न द्वारा किया जा सकता है:**
  - » प्रार्थना सभाओं, त्यौहारों के समारोहों, व अन्य विशेष अवसरों पर तुरंत बाद कुछ समय निकालकर समुदाय से इन मसलों के बारे में बात करें;
  - » पूजा कार्यक्रमों, धार्मिक शिक्षा, तथा विशेष धार्मिक आयोजनों की कार्यवाहियों के दौरान धार्मिक ग्रन्थों की उन शिक्षाओं का उपयोग करें जो बच्चों के संरक्षण पर जोर देती हों;
  - » लोगों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए अभियान शुरू करें;
  - » महिलाओं तथा बच्चों के विरूद्ध हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने और रोकथाम करने के लिए सरकारी प्रयासों में सहायता दें।
- बच्चों के विवाह, या दहेज के लेन-देन वाले विवाह मत कराएं: पुरोहित या अन्य धार्मिक पदधारक व्यक्ति को ऐसे विवाह को स्वीकृति देने से मना कर देना चाहिए जहां दूल्हा या दुल्हन या दोनों कानूनी आयु से कम उम्र के हों। सामूहिक विवाहों के मामले में, जिनका विवाह हो रहा है उनकी आयु के साक्ष्य देखने पर जोर दें, और कानूनी आयु से कम वाले बच्चों के विवाह न कराएं। आप लोगों को सरल विवाह समारोह आयोजित करने के लिए भी सलाह दे सकते हैं, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचाव हो। इससे सामुदायिक सदस्यों में यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि बाल विवाह और दहेज उनके धर्म में समर्थित नहीं है।
- किशोरवय बच्चे के अधिकारों तथा गरिमा को मान्यता दें: वयस्कों द्वारा बच्चों के खिलाफ भेदभाव वाली विधियों तथा व्यवहारों की रोकथाम करने में मदद के लिए धर्मग्रन्थों से उदाहरण इस्तेमाल करें। लोगों के विवाह कानूनी आयु या उसके बाद किए जाने हेतु लोगों, परिवारों तथा समुदायों के दृष्टिकोणों तथा तरीकों में परिवर्तनों को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा दें।
- विधियों व व्यवहार में परिवर्तन के लिए कानूनों के अनुरूप नए मानक स्थापित करें: अच्छे परिवार की दशाएं औपचारिक रूप से तय करते हुए भी कोई नेता प्रक्रिया की अगुवाई कर सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ माहौल देना भी शामिल है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से विकसित हो सकें। अनेक सामुदायिक नेता अब अपने समुदाय को ऐसे व्यवहारों व दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने के लिए यह विधि अपना रहे हैं, जो समुदाय के एक विशेष वर्ग के खिलाफ जाते हों।
- बच्चों को शिक्षित करने और समर्थन देने के लिए व्यवस्थाएं स्थापित करें: बच्चों के साथ तथा बाल अधिकारों के संरक्षण और बढ़ावे के ध्येय वाले लोगों के साथ कार्य करने के लिए धार्मिक नेताओं तथा संगठनों द्वारा विविध प्रयास किए जा सकते हैं।
  - » बच्चों को उनके अधिकारों और पात्रताओं, न्याय-अन्याय की अवधारणा के बारे में शिक्षित करें।
  - » सामुदायिक सदस्यों में इस बारे में चर्चाएं प्रेरित करें कि ऐसे व्यवहारों व विधियों को किस तरह सर्वोत्तम ढंग से बढ़ावा दिया जा सकता है जो धार्मिक उपदेशों तथा व्यापक मानवाधिकार रूपरेखा के अनुरूप हों।
  - » बाल विवाह के विरोध में जाने के इच्छुक बच्चों को समर्थन देने के लिए समुदाय में संरचनाएं और संसाधन बनाएं।
  - » सामुदायिक निगरानी की एक व्यवस्था स्थापित करें जो मानवाधिकार के उल्लंघन तथा बाल विवाह को मान्यता देने के प्रयासों की निगरानी रखे।
- अन्य राजकीय तथा गैर-राजकीय एजेंसियों से सहयोग करें: बाल विवाह के खात्मे के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ तालमेल बनाएं, अपना समर्थन दें, तथा इस दिशा में प्रयासों को बढ़ावा दें।

अनुभाग

4

पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कार्य करना

लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह तथा हिंसा के उन्मूलन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका

पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, लैंगिक हिंसा की रोकथाम में एक प्रमुख हितधारक समूह होते हैं। वे संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन कराने तथा उन्हें बढ़ावा देने, व मसले के समाधान हेतु प्रभावी कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनकी व्यापक पहुंच उनके निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग पूरी जनसंख्या तक रहती है और वे समुदायों को विवाह के नए मानक अपनाने के लिए प्रेरित और सहमत करने की दिशा में अपने पद और प्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि समाज के सदस्यों के रूप में, वे उन्हीं मूल्यों और विश्वासों को परिलक्षित करते हैं जो समुदाय में पाए जाते हैं। उनको जनप्रतिनिधियों के रूप में उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी का स्मरण कराने की आवश्यकता होती है।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों से संबंधित सामना किए जाने वाले जोखिम और तर्क

सामुदायिक कार्यकर्ता और मोबिलाइजर, पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करने के समय कुछ खास जोखिमों और तर्कों का सामना कर सकते हैं। इस अनुभाग में कुछ उचित उत्तर दिए गए हैं जो ऐसे जोखिमों व तर्कों के समाधान हेतु उपयोग किए जा सकते हैं।

हम पंचायत के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन समुदाय के सदस्यों के रूप में हमें इसके मानकों का पालन करना पड़ता है। हम इनके विरूद्ध कैसे जा सकते हैं? हमें हमारे लोगों के बीच ही रहना है।

यह पंचायत प्रतिनिधियों की सबसे सामान्य तथा त्वरित प्रतिक्रिया होती है। आप यह कहते हुए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि यह हमारे देश में किशोरवय बच्चों तथा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उनके लिए एक अवसर है, जिससे समाज को प्रगति करने में मदद मिलेगी। उनको उनकी निम्न जिम्मेदारियां याद दिलाएं :

- कानून का पालन कराना: भारत का संविधान, अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनके मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अतः नेताओं के रूप में, आप बाल विवाहों के विरूद्ध कार्यवाही करके, तथा कानून के अनुरूप विवाह की नई प्रथाएं अपनाकर इस देश के नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।
- मानव और बाल अधिकारों का पालन कराना: हर बच्चा मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है, और इन्हें संरक्षित किया जाना होता है। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, आप बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं और ऐसा करके आप बाल अधिकारों के प्रति सम्मानजनक तथा सभी बच्चों की उचित देखभाल व संरक्षण वाला माहौल बनाने में योगदान करते हैं।

मैं केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तथा अन्य तरह की घरेलू हिंसा रोकने के लिए मुझे कोई शक्ति या प्राधिकार प्राप्त नहीं है।

- संविधान के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के कुछ कर्तव्य हैं, जो राज्य पंचायत अधिनियमों में भी वर्णित किए गए हैं। 'आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय' के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु पंचायतों की संवैधानिक जिम्मेदारी (अनुच्छेद 243 जी(ए)) होती है।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति वाले विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों का कल्याण भी शामिल है, तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित कमजोर वर्गों का कल्याण आदि सम्मिलित हैं। इसलिए, यह सभी स्तर के- ग्राम, प्रखंड, और जिला- पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बाल विवाह कम करने के प्रयास करते हुए महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु समुचित योजनाएं बनाएं।

लैंगिक भेदभाव तथा हिंसा रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर मैं क्या कर सकता हूं?

नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो लैंगिक भेदभाव व हिंसा रोकने के लिए पंचायत नेताओं द्वारा की जा सकती हैं:

- निजी कार्रवाई करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें और वास्तविक अर्थों में नेता बनें,
  - यह सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में हर एक विवाह कानूनी आयु प्राप्ति के उपरांत ही हो, और दहेज का कोई लेन-देन न हो।
  - गांव में किए जाने वाले किसी बाल विवाह में सम्मिलित न हों।
  - गांव में यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के खिलाफ मजबूती से कार्यवाही करें।
  - जन्म पंजीकरण कराना, तथा बच्चों के लिंगानुपात की जानकारी रखना, तथा सार्वजनिक बैठकों में यह बताना सुनिश्चित करें।
  - यह सुनिश्चित करें कि आपके गांव में सभी बच्चों की पहुंच प्राथमिक व माध्यमिक स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, तथा विकास तक हो।
- लैंगिक हिंसा के मसले तथा इसके प्रभावों के बारे में पंचायत की बैठकों, ग्रामसभाओं आदि में चर्चा करें तथा आपकी ग्राम पंचायत में किसी भी स्वरूप में हिंसा का निषेध करने वाले प्रस्ताव पारित कराएं। पंचायत यह सुनिश्चित कर सकती है कि ग्रामसभा और ग्राम पंचायत के जो सदस्य अपने घरों और समुदाय में लैंगिक हिंसा करते हैं, उनको कानून के तहत दण्डित कराया जाए।
- सामुदायिक सदस्यों को लैंगिक हिंसा के विरूद्ध संकल्प लेने के लिए प्रेरित करें।
- जेंडर आधारित लिंग चयन, तस्करी, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा आदि के अंतर्संबंधित मसलों पर कानूनों तथा कानूनी नतीजों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करें।
- समुदाय को बताएं कि आप लैंगिक हिंसा से संबंधित कानून के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
- एक सशक्त ग्राम स्तरीय समिति (उदाहरण के लिए, बाल संरक्षण समिति, ग्राम शिक्षा समिति, आदि) बनाएं, जिसमें समुदाय के विभिन्न लोग शामिल हों और वे गांव में लैंगिक हिंसा वाले मामलों पर निगरानी रखें।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले लोगों को पंचायत के सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे कि ग्राम सभा, त्यौहारों व अन्य महत्त्वपूर्ण दिनों का मनाया जाना, आदि में सम्मानित व प्रेरित करें।
- लैंगिक हिंसा के परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकारी कार्मिकों के प्रयासों में उनकी सहायता करें।
- प्रतिषेध अधिकारियों तथा अन्य पुलिस कार्मिकों को सूचनाएं तथा सहयोग प्रदान करते हुए कानून लागू कराने में उनकी सहायता करें।
- यदि कुछ मामलों में आपकी सलाह की अनदेखी की जाए और बाल विवाह या घरेलू हिंसा हो रही हो, तो पुलिस, या किशोर न्याय अधिनियम के तहत गठित बाल कल्याण समिति के CMPO/CDPO को, या कार्यकारी मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें। ऐसे मामलों में समुचित कार्रवाई करने के लिए इन कार्मिकों को आवश्यक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए सरकारी कार्यक्रम चाइल्ड-लाइन (कॉल 1098) पर भी आप सूचना दे सकते हैं।

हमने अनेक जागरूकता सत्र आयोजित किए। लेकिन सामुदायिक सदस्य संदेशों को सुनते ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं?

उनके प्रयासों की सराहना करें, उन्हें फिर से आश्वस्त करें। समुदाय को

गहराई तक पैठी परम्परागत प्रथाओं से दूर हटा पाना कठिन काम होता है। उनको ऐसी कुछ भेदभाव वाली परम्परागत प्रथाओं के बारे में याद दिलाएं जिनका अब अस्तित्व नहीं रहा (जैसे कि सती प्रथा-जिसमें विधवा को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था, आदि), और ऐसी प्रथाएं समाप्त करने में लगे समय और प्रयासों के बारे में बताएं। इसी तरह से, यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करते रहें तो लैंगिक हिंसा भी बीते जमाने की परम्परा बन जाएगी।

पंचायत सदस्य के रूप में, गांव में लैंगिक हिंसा के विरूद्ध मजबूत रवैया अपनाएं। यदि कोई लैंगिक भेदभाव और हिंसा होने का मामला आपकी जानकारी में आए, तो आप निम्न कार्रवाईयां कर सकते हैं: तत्काल उस परिवार के पास जाएं और परिवार के लोगों को ऐसा कृत्य न करने के लिए समझाएं, कड़ी शर्तों के साथ उनके कृत्य का सामाजिक बहिष्कार करने की कार्रवाई करें, और समुदाय से इस कृत्य की निंदा करने का आह्वान करें, यदि ये उपाय सफल न हों तो पीड़ित के सर्वोत्तम हित में प्राधिकारियों (पुलिस, CMPO, CDPO या चाइल्डलाइन 1098) के यहां शिकायत दर्ज कराएं।

लैंगिक हिंसा (लिंग चयन, तस्करी, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, तथा यौन उत्पीड़न) रोकने के आपके भरपूर प्रयासों के बावजूद भी यदि यह घटित होती रहे, तो खुद को असफल मत मानें। यदि आपने प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट की है, तो प्रक्रिया में एक निश्चित समय लगेगा। इसके अलावा, इस कार्रवाई से आपको यह मजबूती मिलेगी कि बहुत से अन्य लोग जागरूक बन सकते हैं और लैंगिक हिंसा के विरूद्ध अभियान में आपके साथ शामिल हो सकते हैं।

© Breakthrough/India

अनुभाग

5

सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस कार्मिकों के साथ कार्य करना

लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह तथा हिंसा के उन्मूलन में सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस कार्मिकों की भूमिका

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, किसी बच्चे या महिला के विरूद्ध हिंसा होने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों CDPO आदि कुछ विशेष सरकारी कार्मिकों को दायित्व सौंपा गया है। ऐसे मामले रहे हैं जिनमें कार्मिकों द्वारा स्थानीय पुलिस मशीनरी के साथ तालमेल बनाकर कार्य करने के परिणामस्वरूप स्थायी असर पड़े।

- लैंगिक हिंसा न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह मौलिक मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है। यह बच्चों, खासकर लड़कियों की वृद्धि और विकास को नुकसान पहुंचाती है।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस कार्मिकों से संबंधित सामना किए जाने वाले जोखिम और तर्क

सामुदायिक कार्यकर्ता और मोबिलाइजर, CDPO तथा पुलिस कार्मिकों के साथ कार्य करने के समय कुछ खास जोखिमों और तर्कों का सामना कर सकते हैं। इस अनुभाग में कुछ उचित उत्तर दिए गए हैं जो ऐसे जोखिमों व तर्कों के समाधान हेतु उपयोग किए जा सकते हैं।

हमारे पास CDPO, पुलिस आदि के पद हो सकते हैं किन्तु समुदाय के सदस्यों के रूप में हमें इसकी विधियों का पालन करना होता है। हम इनके विरूद्ध कैसे जा सकते हैं? हमें हमारे लोगों के बीच ही रहना है।

कार्मिक (कर्मचारी या अधिकारी) के रूप में आपकी यह जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि आप भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन कराएं और देश में लागू कानूनों को लागू कराएं:

आपकी निम्न जिम्मेदारी है:

- देश के कानून का पालन कराना: भारत का संविधान, अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनके मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अतः आप बाल विवाहों के विरूद्ध कार्यवाही करके, तथा कानून के अनुरूप विवाह की नई प्रथाएं अपनाकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।
- मानव और बाल अधिकारों का पालन कराना: हर बच्चा मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है, और इन्हें संरक्षित किया जाना होता है। सम्यक तत्परता से अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, आप बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं और ऐसा करके आप बाल अधिकारों के प्रति सम्मानजनक तथा सभी बच्चों की उचित देखभाल व संरक्षण वाला माहौल बनाने में योगदान करते हैं।

लैंगिक हिंसा रोकने के लिए CDPO के रूप में हम क्या कर सकते हैं?

लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए आप निम्न कुछ उपाय कर सकते हैं :

- निजी कार्रवाई करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके परिवार में हर एक विवाह कानूनी आयु प्राप्ति के उपरांत ही हो, और दहेज का कोई लेन-देन न हो व लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।
- लैंगिक हिंसा से संबंधित कानूनों, तथा कानूनी परिणामों के बारे में समुदाय को शिक्षित करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करें।
- समुदाय को बताएं कि आप कानून के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
- लैंगिक हिंसा के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत, पालिका आदि के स्थानीय कार्मिकों और नेताओं से समन्वय प्रणाली बनाएं। ये संभावित हिंसा के बारे में जानकारी देने वाली निगरानी प्रणालियों के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- लोगों को व्यक्तिगत रूप से सलाह और परामर्श दें कि वे महिलाओं व बच्चों के विरूद्ध हिंसा को बढ़ावा देने, मदद करने या अनुमति देने के कार्य मत करें।

हमने अनेक जागरूकता सत्र आयोजित किए। लेकिन सामुदायिक सदस्य संदेशों को सुनते ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं?

दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखें। समुदाय को गहराई तक पैठी परम्परागत प्रथाओं से दूर हटा पाना कठिन काम होता है। सरकारी पदाधिकारी होने के नाते, आपको आपकी आधिकारिक क्षमता के रूप में लैंगिक हिंसा की रोकथाम हेतु अधिकार प्राप्त है। यदि समुदाय में जागरूकता और संवेदनशील बनाने के प्रयास कारगर न हों, तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं और अपने संज्ञान में आने वाली लैंगिक हिंसा रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप स्थानीय पुलिस कार्मिकों की मदद ले सकते हैं जिन्हें गिरफ्तारियां करने व हिंसा रोकने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुभव दर्शाते हैं कि कार्मिकों द्वारा ठोस और निश्चयात्मक कार्रवाई करने से लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है और लैंगिक हिंसा की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिलती है।

हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और यह एक अतिरिक्त कार्यभार है। हम पहले से ही जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं। कोई निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए संसाधन आवंटित नहीं हैं।

ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम प्रयास करना ही एक चुनौती है। ऐसी कई संरचनाएं हैं जो महिला एवं बाल कल्याण संबंधित विविध कानूनों और योजनाओं के तहत आपके कर्तव्य निर्वहन के लिए उपयोग की जा सकती हैं:

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) में राज्य से गांव स्तर तक की संरचना और प्रणालियां हैं जिनसे लैंगिक हिंसा की रोकथाम में साझेदारी की जा सकती है। इनमें बाल कल्याण समिति (CWC), किशोर न्याय बोर्ड (JJB), चाइल्ड-लाइन (कॉल 1098), विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) तथा राज्य भर में स्थित कई बाल देखभाल संस्थाएं शामिल हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और सहयोग की संभावनाएं खोजते हुए जिले भर में विस्तृत इस बड़े मानव संसाधन नेटवर्क की सहायता ले सकते हैं।
- विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद और युवा मामले, पंचायती राज, ग्राम विकास, गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण आदि के साथ कार्य करें। ये सभी विभाग मानवीय और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए मदद कर सकते हैं। साथ मिलकर कार्य करने से नेटवर्क अधिक मजबूत बनेगा और किसी हस्तक्षेप, अभियान, कार्यक्रम आदि का प्रभाव बढ़ जाएगा।

यह अधिनियम, हमें लैंगिक हिंसा जैसे कि घरेलू हिंसा या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार करने या अन्य कोई कार्यवाही करने का प्राधिकार और शक्ति प्रदान नहीं करता है।

बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोकने के लिए गिरफ्तारी सदैव अनिवार्य नहीं होती। अधिकांश मामलों में, इसे जांच-पड़ताल के द्वारा हल किया जा सकता है, जो कि पहला काम होता है जो आपको करना होता है।

यदि जांच-पड़ताल कारगर न हो, तो आपको संस्थाओं की मदद लेते हुए आगे कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय पुलिस से संपर्क करें, उन्हें बताएं कि यदि कोई गिरफ्तारी अनिवार्य हो तो उन्हें आपके साथ जाने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, कार्यकारी मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी आदेश जारी करने के लिए संपर्क करें। मामले में वे अपने-आप (स्वतः संज्ञान लेते हुए) भी कार्रवाई कर सकते हैं।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की व्यावहारिक चुनौतियां बताएं और अपनी रिपोर्टिंग के दौरान या बैठकों के समय अपने रिपोर्टिंग अधिकारी या विभाग के निदेशक या सचिव से इनके समाधान के तरीकों के बारे में बात करें। इससे वरिष्ठ अधिकारियों को कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने तथा पैरोकारी करने में मदद मिलेगी।

अनुभाग

6

बच्चों, किशोरवयों तथा युवाओं के साथ कार्य करना

लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह तथा हिंसा के उन्मूलन में बच्चों, किशोरवयों तथा युवाओं की भूमिका

बच्चों, किशोरवयों और युवाओं को संरक्षित किया जाना होता है, लेकिन इसके साथ ही वे लैंगिक हिंसा के खात्मे में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक भी हैं। वे ऐसा समूह भी होते हैं जिनको कम से कम शक्ति प्राप्त होती है क्योंकि उनके जीवन के बारे में महत्त्वपूर्ण फैसले उनके घर के बड़े-बुजुर्ग करते हैं। उनके अपने विकास के बारे में फैसले करने की शक्ति उनको नहीं दी जाती, और यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और नीतिगत मानकों के खिलाफ है।

हमारे प्रयास, किशोरवयों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, तथा ये अधिकार प्राप्त करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में निर्देशित होने चाहिए। बच्चों, किशोरवयों और युवाओं के साथ कार्य के पिछले अनुभवों का परिणाम प्रभावी सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। इस तरह से, हितधारकों के इस समूह के साथ कार्य करते समय परिवर्तन की भरपूर संभावनाएं काम करती हैं। हालांकि अपनी स्थितियों के कारण वे अनेक मसलों का सामना करते हैं।

सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों, किशोरवयों तथा युवाओं से संबंधित सामना किए जाने वाले जोखिम और तर्क

बच्चों, किशोरवयों और युवाओं के साथ कार्य करते समय सामुदायिक कार्यकर्ता और मोबिलाइजर, कुछ खास जोखिमों और तर्कों का सामना कर सकते हैं। इस अनुभाग में कुछ उचित उत्तर दिए गए हैं जो ऐसे जोखिमों व तर्कों के समाधान हेतु उपयोग किए जा सकते हैं।

हम दहेज, लिंग चयन, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न आदि सब कुछ अपने आस-पास अपने परिवार, मित्रों के यहां व समुदाय में होते देखते हैं। इसमें क्या गलत है?

किशोरवय जो कुछ अपने आस-पास देखते हैं, उससे प्रभावित हो सकते हैं और ऐसा मान सकते हैं कि यही जीवन का सामान्य तरीका है। लैंगिक

हिंसा, तथा इसके नकारात्मक परिणामों के बारे में उन्हें जागरूक और सचेत करने की आवश्यकता होती है।

उनको बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों में निम्न शामिल हैं:

- यह कानून के खिलाफ है। ऐसी लैंगिक हिंसा करने वाले लोगों को जेल भेजा जा सकता है। आप अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को यह समझाकर उन्हें कानून तोड़ने से रोक सकते हैं, और उन्हें जेल जाने से बचा सकते हैं।
- लैंगिक हिंसा युवाओं, विशेषकर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, वृद्धि और विकास, तथा इस तरह उनके लिए आजीविका अवसरों को प्रभावित करती है। लड़कियों और लड़कों का विवाह हो जाने पर प्रायः उनकी शिक्षा रूक जाती है, और उनको आजीविका कमाने व उनके परिवार की देखभाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। लड़कियों को कम उम्र से ही जल्दी गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने का दायित्व उठाना पड़ता है, और घरेलू काम-काज निबटाना होता है, यह सब कुछ लड़कियों के स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती पर बुरा असर डालता है। पढ़ाई कम रह जाने की वजह से आजीविका कमाने के विकल्प सीमित हो जाते हैं और विकास व वृद्धि के अवसर भी कम हो जाते हैं।

स्कूल जाते समय मेरी साथी को परेशान किया जाता है? हम क्या कर सकते हैं?

ऐसी परिस्थिति से निबटने के लिए युवा किशोरवयों को निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं :

- अपनी साथी को प्रेरित और प्रोत्साहित करें कि वह परेशान करने वाले को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए उत्पीड़न रोकने को कहे।
- उससे साहस से काम लेने, तथा उसके अभिभावकों से बात करने को कहें। उसे इस बारे में जानकारी दें कि यौन उत्पीड़न क्यों गलत है और कानून यौन उत्पीड़न का निषेध करता है, इससे वह अपने अभिभावकों से अधिक जागरूक ढंग से बात कर पाएगी। यदि आपकी साथी अपने अभिभावकों से बात करने में हिचके, तो उसे सुझाएं कि वह परिवार या पास-पड़ोस में किन्हीं समानुभूति रखने वाले नेताओं से मदद मांगे।
- अपनी साथी को सहयोग दें और उससे घनिष्ठता रखें, आप स्कूल तक जाने में उसका साथ भी दे सकते हैं। यदि अकेले आपको ऐसा करने में असहज महसूस होता है तो आप दोस्तों या किशोरियों का समूह बना सकते हैं जो एक साथ स्कूल जाए।
- यदि अभिभावक सहयोग न करें, तो अपने स्कूल के अध्यापक, पंचायत सदस्य, स्थानीय बाल संरक्षण समिति आदि से सहयोग मांगकर उत्पीड़नकर्ताओं पर हिंसा रोकने का दबाव बनाएं।
- और अंत में, उत्पीड़नकर्ता को यह भी बताया जा सकता है कि यदि वे हिंसक व्यवहार को अभी बंद नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।

मेरी साथी अब स्कूल नहीं आती। उसे घरेलू काम-काज सिखाने के लिए घर में ही रखा जाता है। उसके अभिभावक कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है और जल्दी ही उसका विवाह कर दिया जाएगा।

क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, इसलिए अपने साथियों को एकजुट करें, साथी के घर जाएं और उसके अभिभावकों को राजी करें कि वे उसे स्कूल भेजें और 18 वर्ष की हो जाने तक उसका विवाह मत करें।

- अभिभावकों को बताएं कि ज्ञान और जानकारी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, और यह बच्चों को आगे जीवन में बेहतर अवसर प्रदान करती है।
- यदि अभिभावक यह कहें कि लड़की होने के नाते उसे आगे चलकर केवल घर का काम-काज ही करना है, और कोई नौकरी नहीं करनी है, तो उनको बताएं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हासिल करना ही नहीं होता। शिक्षित होना आवश्यक है ताकि उनकी पुत्री स्वास्थ्य, आर्थिक मसलों तथा सामाजिक योजनाओं आदि के बारे में बेहतर जानकारी रखते हुए खुद की व अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सके।
- शिक्षित होने पर, आपकी साथी अपनी देखभाल खुद कर पाएगी और दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगी।
- अभिभावकों को बताएं कि उनकी पुत्री की वृद्धि और विकास के लिए बाल विवाह क्यों खराब बात है।

हम जब भी अपनी बात कहते हैं तो हमें हमेशा चुप करा दिया जाता है। हमारे बारे में कोई फैसले करते समय वयस्क कभी भी हमसे नहीं पूछते।

वयस्कों को मानव/बाल अधिकारों से परिचित होना होगा तथा किशोरवयों से किए जाने वाले व्यवहार में बदलाव करना होगा। डरें नहीं क्योंकि कानून आपके साथ है। आप एक दल बना सकते हैं और वयस्कों से बातचीत शुरू कर सकते हैं।

इसके अलावा, बच्चे यह भी कर सकते हैं:

- गांव में अपने अध्यापक, ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, बाल संरक्षण समिति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आदि के सहयोग से बच्चों/किशोरवयों के समूह बनाएं। तब ये समूह ऐसे प्लेटफार्म बन सकते हैं जहां लैंगिक हिंसा का खात्मा करने से संबंधित सरोकारों और समाधानों पर चर्चा की जा सकेगी और संदेश समुदाय तक फैलाए जा सकेंगे। यह अनेक प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि नुक्कड़ नाटक, अभिभावकों, पंचायत सदस्यों आदि के साथ चर्चा या जागरूकता सत्र आयोजित करके, इत्यादि।
- गांव में सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे कि ग्राम सभा की बैठकों, गणतंत्र दिवस समारोह आदि के दौरान समूह पंचायत सदस्यों से इसके सरोकारों पर चर्चा करने व राय जाहिर करने के अवसर मांग सकता है।

हम हमारे बड़े-बुजुर्गों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हम उनकी सोच कैसे बदल/प्रभावित कर सकते हैं?

छोटे बच्चे, किशोरवय तथा युवाओं को लगातार आज्ञापालन करना तथा बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया जाता है, और आपको मानना पड़ता है कि बुजुर्ग लोग जो भी कहते हों वह सब सही है और आपको उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह हमेशा सत्य नहीं होता। बच्चों की अपनी समझ-बूझ होती है और उनकी राय की भी वजहें होती हैं, जो वैध होती हैं और यह बिंदु वयस्कों का बताया जाना चाहिए।

बच्चे, किशोरवय या युवाओं के पास उनके अधिकारों या कानूनों के बारे में जानकारी नहीं होती, वे बुजुर्गों को बता व जागरूक कर सकते हैं, जिससे उनके सोचने के तरीकों में बदलाव आ सकता है।

यदि वे वयस्कों की राय से सहमत न हों, तो किशोरवय और युवा, अभिभावकों/संरक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। यह बच्चों के लिए महत्त्वपूर्ण है कि वे अपनी राय तथा सरोकारों के बारे में बिना आक्रामक हुए, बिना किसी धमकी-धौंस के अपनी बात रखें।

आप अपने दोस्तों, समानुभूति रखने वाले बुजुर्गों, अध्यापकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के साथ भी यह कर सकते हैं। आप लैंगिक हिंसा के नकारात्मक प्रभावों के बारे में अपने समुदाय में उपलब्ध किन्हीं सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, और अभिभावकों तथा बुजुर्गों को मानव/बाल अधिकारों के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बना सकते हैं।

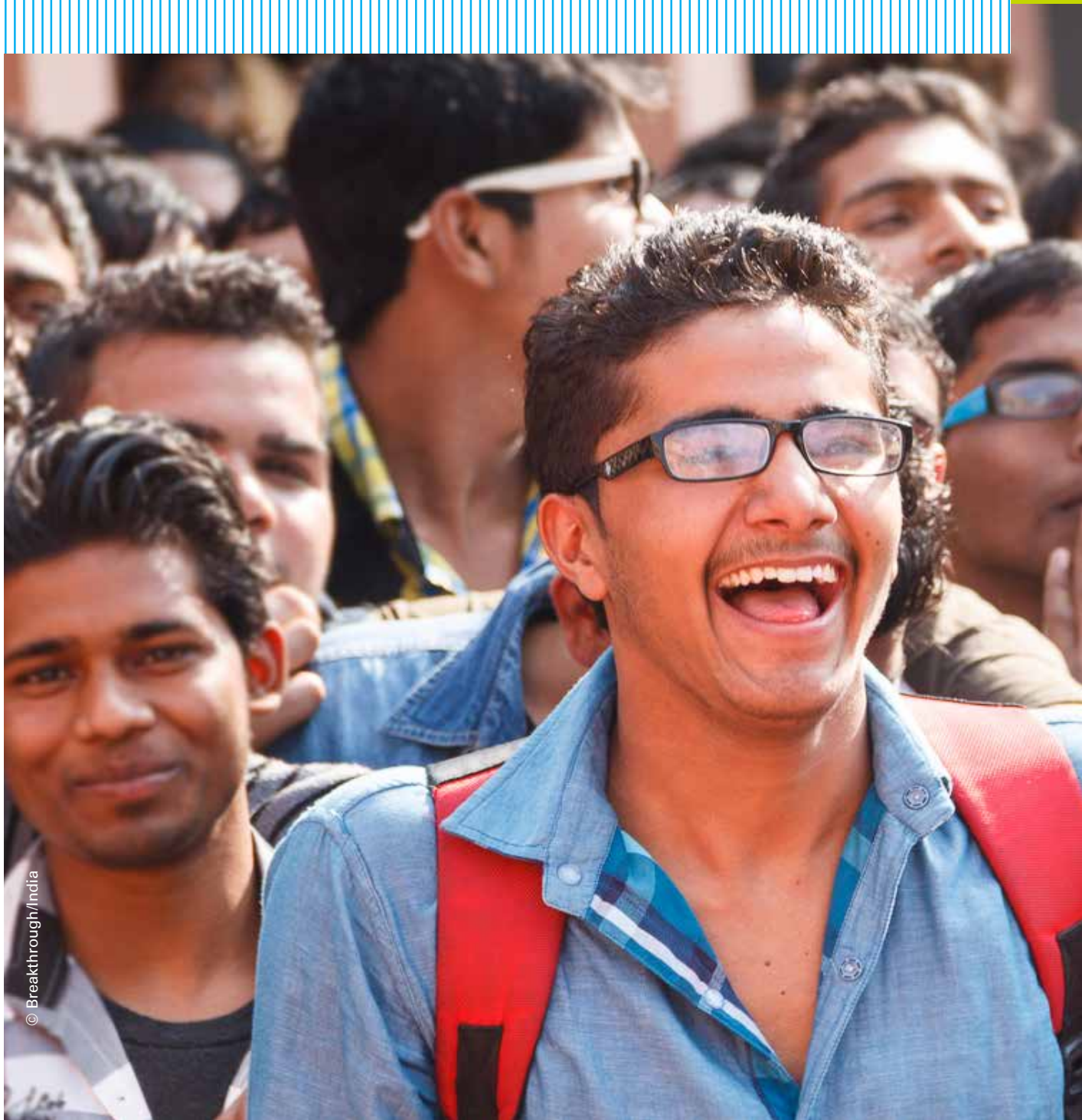
© Breakthrough/India

अनुभाग

7

अध्यापकों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ASHA, AWW, ANM) के साथ कार्य करना

बाल विवाह के उन्मूलन में अध्यापकों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भूमिका

अध्यापक तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे कि ASHA (मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), AWW (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री) तथा ANM (सहायक नर्स मिडवाइफ) को उनके समुदाय में एक खास दर्जा हासिल होता है और भरपूर सम्मान भी मिलता है। उनको ज्ञान, शिक्षण, तथा राहत प्रदान करने वालों के तौर पर देखा जाता है और मानवाधिकार के कई मसलों के समाधान के लिए इस दर्जे का उपयोग किया जा सकता है।

अध्यापक तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता ऐसे स्थानों पर भी होते हैं, जहां वे लैंगिक हिंसा की घटनाओं की जानकारी पाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। उनको शीघ्र मिलने वाली जानकारी के फलस्वरूप पूर्वसक्रिय कार्रवाई करते हुए, संबंधित परिवारों से संपर्क करके उन्हें लैंगिक हिंसा के नुकसानों व प्रभावों के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जा सकता है। समाज में उनका खास दर्जा होने के कारण लड़कियों के अभिभावकों द्वारा उनकी बात सुनी जाने की संभावना अधिक रहती है। वे सामुदायिक सदस्यों तथा सरकार के बीच संबंध स्थापित करने वाली कड़ी की तरह भी काम करते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विकास के क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों के सशक्तिकरण हेतु सरकारी नीतियों को बढ़ावा देते हैं।

युवा छात्रों को स्वयं शिक्षित करना, तथा कई मामलों में उनकी जागरूकता बढ़ाना एक दूसरी रणनीति है। अध्यापक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, लैंगिक तथा जीवन कौशलों के बारे में ज्ञान और शिक्षा दे सकते हैं, लड़कियों और लड़कों द्वारा इन मसलों को समझने की शुरूआत करते समय समर्थन दे सकते हैं, स्वस्थ संबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, छात्रों को जागरूक कर सकते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा को सहन नहीं किया जाना चाहिए और लड़कों व लड़कियों में उनके सपने व महत्वाकांक्षाएं प्रेरित करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इससे लड़कों व लड़कियों में बाल विवाह का प्रतिरोध करने के लिए ज्ञान व कौशलों का विकास हो पाएगा।

अध्यापक शैक्षिक संस्थानों का इस तरह विकास करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देती हों। अपने

सहकर्मियों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करके, तथा सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करने वाली शिक्षण विधियां अपनाकर अध्यापक मानवाधिकारों का पालन कराने वाली संस्थाएं बना सकते हैं। शिक्षित करने के दौरान लैंगिक असमानता के मसले पर सक्रियतापूर्वक कार्य करते हुए लड़कियों में बातचीत के कौशल और आत्मविश्वास विकसित करें, लैंगिक भेदभाव व हिंसा पर अंतरपीढ़ीगत संवाद कराएं और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दें।

अध्यापकों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों तथा जोखिमों के समाधान के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं हेतु वार्तालाप के बिंदु

सामुदायिक कार्यकर्ता और मोबिलाइजर, अध्यापकों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ कार्य करने के समय कुछ खास जोखिमों और तर्कों का सामना कर सकते हैं। इस अनुभाग में कुछ उचित उत्तर दिए गए हैं जो ऐसे जोखिमों व तर्कों के समाधान हेतु उपयोग किए जा सकते हैं।

समुदाय में हमारा सम्मानजनक दर्जा हो सकता है, लेकिन समुदाय के सदस्यों के रूप में हमें इसके मानकों का पालन करना पड़ता है। हम इनके विरूद्ध कैसे जा सकते हैं? हमें हमारे लोगों के बीच ही रहना है।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाएं) के प्रतिनिधि के रूप में या शिक्षक के रूप में, आपकी यह जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि आप भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन कराएं और देश में प्रचलित कानूनों को लागू कराएं:

आपकी निम्न जिम्मेदारी है :

- देश के कानून का पालन कराना : भारत का संविधान, अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और उनके मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अतः आप बाल विवाहों के विरूद्ध कार्यवाही करके, तथा कानून के अनुरूप विवाह की नई प्रथाएं अपनाकर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।
- मानव और बाल अधिकारों का पालन कराना : हर बच्चा मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है, और इन्हें संरक्षित किया जाना होता है। सम्यक तत्परता से अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, आप बाल अधिकारों का संरक्षण करते हैं और ऐसा करके आप बाल अधिकारों के प्रति सम्मानजनक तथा सभी बच्चों की उचित देखभाल व संरक्षण वाला माहौल बनाने में योगदान करते हैं।

लैंगिक हिंसा की रोकथाम, तथा किशोरावस्था सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रूप में मैं क्या कर सकता हूं?

लैंगिक हिंसा की रोकथाम के लिए आप निम्न कुछ उपाय कर सकते हैं :

- लैंगिक समानता का पालन करते हुए तथा किसी भी रूप में हिंसा को न बर्दाश्त करते हुए निजी कार्रवाई करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें।
- अभिभावकों तथा परिवारों को उनकी लड़कियों से प्रेम और स्नेह का व्यवहार करने के लिए सहमत करें। उनसे कहें कि वे अपनी लड़कियों को शिक्षा, पोषण, आवाजाही, काम करने के अवसर, तथा संपत्ति के अधिकार आदि प्रदान करें। यदि लड़कियां स्वतंत्र हों और निर्णय करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, तभी वे अपने अभिभावकों तथा परिवारों की देखभाल करने में सक्षम हो सकेंगी और समाज में भी योगदान कर सकेंगी।
- किशोरवयों तथा महिलाओं व उनके परिवारों को लैंगिक हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- समुदाय, विशेषकर युवा विद्यार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य पर हिंसा के नकारात्मक प्रभावों, हिंसा मुक्त जीवन जीने के अधिकार, तथा कानूनी और विधिक परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करें।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए, स्थानीय कार्मिकों तथा ग्राम पंचायत, पालिका आदि के नेताओं के साथ तालमेल स्थापित करें। ये संभावित हिंसा के बारे में जानकारी देने वाली निगरानी प्रणालियों के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- लोगों को व्यक्तिगत रूप से सलाह और परामर्श दें कि वे किसी तरह के लैंगिक भेदभाव व हिंसा को बढ़ावा देने, मदद करने या अनुमति देने के कार्य मत करें।
- समुदाय को सतर्क करें कि आप लैंगिक हिंसा की घटना के बारे में संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके।

हमने अनेक जागरूकता सत्र आयोजित किए। लेकिन सामुदायिक सदस्य संदेशों को सुनते ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं?

दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखें। समुदाय को गहराई तक पैठी परम्परागत प्रथाओं से दूर हटा पाना कठिन काम होता है। अध्यापक/अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता होने के नाते, आपको समुदाय में सम्मान प्राप्त होता है जो बाल विवाह रोकने के लिए आपके पक्ष में कार्य करता है। उनके प्रयासों की सराहना करें, उनको आश्वस्त करें। समुदाय को गहराई तक पैठी परम्परागत प्रथाओं से दूर हटा पाना कठिन काम होता है। उनको ऐसी कुछ भेदभाव वाली परम्परागत प्रथाओं के बारे में याद दिलाएं जिनका अब अस्तित्व नहीं रहा (जैसे कि सती प्रथा-जिसमें विधवा को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था, आदि), और ऐसी प्रथाएं समाप्त करने में लगे समय और

प्रयासों के बारे में बताएं। इसी तरह से, यदि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करते रहें तो बाल विवाह भी बीते जमाने की परम्परा बन जाएगी।

गांव में लैंगिक हिंसा के विरूद्ध मजबूत रवैया अपनाएं। यदि कोई लैंगिक भेदभाव और हिंसा होने का मामला आपकी जानकारी में आए, तो आप निम्न कार्रवाईयां कर सकते हैं: तत्काल उस परिवार के पास जाएं और परिवार के लोगों को ऐसा कृत्य न करने के लिए समझाएं, कड़ी शर्तों के साथ उनके कृत्य का सामाजिक बहिष्कार करने की कार्रवाई करें, और समुदाय से इस कृत्य की निंदा करने का आह्वान करें, यदि ये उपाय सफल न हों तो बच्चे और महिलाओं के सर्वोत्तम हित में प्राधिकारियों (पुलिस, CMPO, CDPO या चाइल्डलाइन 1098) के यहां शिकायत दर्ज कराएं।

आपके भरपूर प्रयासों के बावजूद भी यदि लैंगिक हिंसा घटित होती रहे, तो खुद को असफल मत मानें। यदि आपने प्राधिकारी को मामले की रिपोर्ट की है, तो प्रक्रिया में एक निश्चित समय लगेगा। इसके अलावा, इस कार्रवाई से आपको यह मजबूती मिलेगी कि बहुत से अन्य लोग जागरूक बन सकते हैं और लैंगिक हिंसा के विरूद्ध अभियान में आपके साथ शामिल हो सकते हैं।

लैंगिक भेदभाव, बीच में स्कूल छोड़ना तथा हिंसा की रोकथाम, तथा किशोरावस्था सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में मैं क्या कर सकता हूं?

अध्यापक, स्कूलों में लैंगिक हिंसा की रोकथाम में एक आधारभूत भूमिका निभा सकते हैं और समस्त विद्यार्थियों में बहुत कम उम्र में ही समानता और न्याय की सोच के बीज बो सकते हैं। अध्यापक, अपने विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। अध्यापक एक भूमिका यह निभा सकते हैं कि वे विद्यार्थियों को लैंगिक भूमिकाओं और भेदभाव के मसलों के समाधान हेतु प्रोत्साहित करते हैं जो उनको स्कूल व उनके निजी जीवन में परेशान करती हैं जिसके वजह से वे स्कूल छोड़ देते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है यदि वे प्रोत्साहित बने रहें, दृढ़निश्चयी रहें और किसी भी प्रतिकूल व्यवहार को सहन न करें।

अपनी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर, जीवन कौशलों तथा अधिकारों के मसलों को सूक्ष्म तरीकों से सम्मिलित करने का प्रयास करें। लैंगिक समानता पर बातचीत शुरू करने, या दर्शाने के लिए कई सरल रणनीतियां और आरंभिक बिंदु हैं, जो आपकी कक्षा को समावेशी और समानतापूर्ण बनना सुनिश्चित करेंगे।

- लैंगिक-तटस्थ भाषा का प्रयोग करें: अहानिकारक भाषा का प्रयोग भी लैंगिक पक्षपात को बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण देते समय अपने विद्यार्थियों को 'वह (पुल्लिंग)' या 'वह (स्त्रीलिंग)' का उपयोग करने को प्रोत्साहित करें। यदि उनकी जुबान फिसल जाए, तो आलोचना मत करें, बल्कि इसे एक अवसर की तरह उपयोग करते हुए इस बारे में चर्चा करें कि किस तरह से लैंगिक पक्षपात हमारी भाषा में सम्मिलित हो जाता है। इसी प्रकार, सुनिश्चित करें कि आपके पाठों में उदाहरणों में लिंगों (जेंडर्स) के बीच अदला-बदली होती रहे। यदि आप ऐसी पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं जिनमें केवल 'वह (पुल्लिंग)' का उपयोग हुआ है या ऐसे चित्र हैं जो रूढ़िगत तरीके से पुरूषों व महिलाओं को एक खास ढंग से चित्रित करते हैं, तो कृपया विद्यार्थियों को इस बारे में बताएं और उनसे पाठ्यपुस्तक सही कराएं।
- एकीकरण को बढ़ावा दें: आप किसी भी आयु-समूह वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि लैंगिक आधार पर विभाजन किए बिना समूह कार्य किया जाए। कभी भी विद्यार्थियों को लैंगिक आधार पर विभाजित मत करें। कभी-कभी, विशेषकर कुछ खास आयु समूहों में, विद्यार्थियों में खुद को लैंगिक आधार पर विभाजित कर लेने की प्रवृत्ति होती है। यदि ऐसा हो, तो हस्तक्षेप करें और समूहों को आपस में मिश्रित करें। इसी प्रकार, यदि आप छात्रों को यह चुनने देते हैं कि वे कक्षा में कहां बैठेंगे, तो लैंगिक समानता के आधार पर उन्हें बैठने के स्थान का स्वतः चयन न करने दें।
- लैंगिक आधारों पर कार्य आवंटित करने से बचें: विद्यार्थियों को निर्धारित कार्य सौंपना प्रत्येक अध्यापक का विशेषाधिकार होता है। सुनिश्चित करें कि आप लैंगिक आधार पर भेदभाव न करें। सफाई करने जैसे काम केवल लड़कियों को तथा चीज़ें उठाने-लाने जैसे काम केवल लड़कों को मत सौंपें। यदि किताबों का बक्सा किसी अन्य कमरे में ले जाने के लिए कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरत हो, तो सुनिश्चित करें कि आप सहायता के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों से कहें। यदि आपको खाना पकाने, या बागवानी करने के लिए दल बनाना हो तो सुनिश्चित करें कि स्वयंसेवा कार्य में लड़कों को भी अवश्य शामिल करें।
- माध्यमिक स्कूल नामांकन को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थीयों को माध्यमिक शिक्षा पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- दृढ़ रवैया अपनाएं: ऐसे दब्बू दृष्टिकोणों को हतोत्साहित करें, जो यौन उत्पीड़न, अवांछित टीका-टिप्पणियों को स्वीकृत करते हैं।
- समान प्रत्याशाएं प्रेरित करें: सुनिश्चित करें कि आप लड़कियों से भी वही ऊंचे मानकों की अपेक्षा रखें जो आप लड़कों से परम्परागत रूप से 'पुरूषों' के माने जाने वाले विषयों जैसे कि गणित और विज्ञान आदि में अपनाते हैं। यदि आप शारीरिक शिक्षा पढ़ाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि केवल लड़कों को ही अधिक दमखम वाले खेल खेलने की अनुमति न दें और लड़कियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर न रखें। कक्षा में अपनी अपेक्षाओं पर चर्चा करें और स्पष्ट करें कि जेंडर का यहां पर कोई दखल नहीं होगा।

बाल विवाह, बीच में स्कूल छोड़ना, लैंगिक भेदभाव तथा हिंसा के समाधान के लिए अभिभावकों के साथ कार्य करना

अभिभावकों को प्रेरित और शामिल करें: किशोरवय समूह के साथ कार्य करने पर मुख्य हितधारक अभिभावक होते हैं क्योंकि किशोरवयों के

अल्पवयस्क होने के कारण आवाजाही, शिक्षा आदि के मामलों में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले अधिकांश बड़े फैसले उनके अभिभावकों द्वारा लिए जाते हैं। अभिभावकों के साथ कार्य करने के लिए निम्न कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं-

- **घरेलू दौरे आयोजित करें-** जोखिमग्रस्त किशोरवय (बाल विवाह, लैंगिक हिंसा/भेदभाव, आवाजाही पर प्रतिबंध, शिक्षा के अवसरों का अभाव, आदि) के परिवार में घरेलू विजिट करके मुलाकात करें।
- **बैठकें-** अभिभावकों, समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे कि अध्यापकों, पीआरआई सदस्यों, धार्मिक नेताओं के साथ सामुदायिक स्तर पर बैठकें करके किशोरावस्था सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। यह चर्चा अक्सर करें, संबंधित मसलों पर प्रश्न पूछें।
- **कौशल प्रशिक्षण-** ऐसे कार्यक्रम, जो अभिभावकों को उनके युवा किशोरवयों से अंतरपीढ़ीगत संवाद शुरू करने में मदद कर सकते हैं, संवाद आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से अभिभावकों को गतिविधियां दी जा सकती हैं जिन पर वे घर में किशोरवयों के साथ कार्य करेंगे।
- **अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम-** बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, तथा भेदभाव पर प्रशिक्षण शामिल किया जा सकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों में इन प्रथाओं/विधियों के प्रभाव तथा कानूनी क्रियान्वयन को शामिल किया जा सकता है। बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध कई योजनाएं, चर्चाओं के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु हो सकती हैं जिससे लैंगिक हिंसा/भेदभाव, बाल विवाह आदि की घटनाएं कम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- **अभिभावक किशोरवय सहभागिता कार्यक्रम-** यह अंतराल दूर करने के लिए एक ही प्लेटफार्म पर भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। इसे प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं जैसे कि गायन, स्लोगन प्रतियोगिताएं, संदेशों वाली वाल पेन्टिंग बनाना आदि के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे अधिक दृश्यता के साथ अपेक्षाकृत बड़े प्लेटफार्म पर अंतर-लैंगिक और अंतर-पीढ़ीगत संवाद के अवसर बनाने में भी मदद मिलेगी।

याद रखने लायक बिंदु

- किशोरवयों और पारिवारिक सदस्यों से घनिष्ठता विकसित करना महत्त्वपूर्ण है।
- घरेलू विजिट, बैठकों, तथा सामुदायिक स्तरीय कार्यक्रमों के लिए आईईसी सामग्रियां तैयार करें।
- गतिविधियां आयोजित करने के लिए अभिभावकों की उपलब्धता का ध्यान रखें, समय ऐसा हो जिससे उनके दैनिक काम-काज में बाधा न पड़े।
- पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सामूहिक प्रयास प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावकों का नेटवर्क बनाएं।

मेरे किशोरवय लड़की/लड़के को सशक्त करने के लिए मैं अभिभावक के रूप में क्या कर सकता हूं?

- आत्म-विश्वास विकसित करें : उनसे उनका गृहकार्य करने के लिए कहते हुए, बाज़ार जाकर कुछ खरीदने को कहते हुए इसकी शुरूआत की जा सकती है।
- थोड़ा जेब-खर्च दें जिसमें वे अपने पूरे महीने का खर्च निकालें।
- उनको उनकी चीज़ों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें।
- किशोरवयों से विभिन्न लोगों का मासिक बजट ज्ञात करने को कहें- आया, नौकर, और यह कि वे किस तरह से अपना जीवन प्रबंधित करते हैं।
- वंचित लोगों के लिए धन, कपड़ों, तथा संसाधनों का प्रबंध करने, या उनके अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करने में अपने किशोरवयों को सम्मिलित करें।
- उनको अच्छे स्पर्श, बुरे स्पर्श- हिंसा के बारे में बताएं और मुखर बनने को कहें।
- उचित पोषण, मनोरंजन, खेलकूद, और स्वस्थ जीवनयापन के लिए उन्हें प्रेरित करें।
- उनको बताएं कि वे अपने आस-पास के लोगों का सम्मान करना सीखें, इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अलग-अलग पृष्ठभूमियों से उनके संपर्क में आते हैं।
- समुदाय में स्वयंसेवा करने के लिए प्रेरित करें।
- अपने किशोरवयों के साथ गुणवत्तापरक समय बिताएं-उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, और उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में भी बताएं।
- उनको उनकी आयु के अनुरूप पारिवारिक निर्णयों में शामिल करें।

याद रखने लायक बिंदु

- अपने किशोरवयों के साथ गुणवत्तापरक समय बिताएं।
- सम्मानजनक व्यवहार प्रोत्साहित करें।
- उनको उनकी आयु के अनुरूप पारिवारिक निर्णयों में शामिल करें।
- उनको बाहरी माहौल के संपर्क में लाकर, क्षेत्र भ्रमण, संयुक्त रूप से स्वयंसेवा, तथा धन प्रबंधन आदि के माध्यम से सशक्त बनाएं।

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 Fax 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 Fax 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia